पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) की आर्थिक शिक्षाएँ

मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ

विषय सूची

बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

"अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही दयावान अत्यन्त कृपाशील है।"

दो शब्द

इस्लाम मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन करता है, इसी लिए उसकी शिक्षाएँ आध्यात्मिक, सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र के साथ ही आर्थिक गतिविधियों से सम्बन्धित भी हैं जो पवित्र क़ुरआन तथा पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) के कथनों में मौजूद हैं। ये शिक्षाएँ बहुत स्पष्ट, तार्किक एवं सन्तुलित हैं। इनकी विशेषता यह है कि इन्हें धरती पर व्यवहार रूप में अपनाया जाता रहा है, जिससे न केवल यह कि आर्थिक विकास हुआ, बल्कि अनेक आर्थिक समस्याओं के समाधान में तथा ग़रीब और अमीर के बीच के अन्तर एवं असमानता को कम करने में बहुत प्रभावी रही हैं।

क़ुरआन में उल्लिखित आर्थिक शिक्षाओं का संकलन पूर्व में प्रकाशित हो चुका है। आवश्यकता प्रतीत हो रही थी कि पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) के आर्थिक जगत से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देशों तथा शिक्षाओं का संकलन अलग से प्रस्तुत किया जाए। हिन्दी जगत के विद्वान मौलाना महम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ साहब ने हदीस सौरभ के नाम से जो संकलन किया था उसके चौथे भाग में अर्थव्यवस्था सम्बन्धी हदीसें विस्तृत व्याख्या सहित संकलित की थीं। उनके उसी संकलन को संक्षिप्त व्याख्या के साथ यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है कि पुस्तक 'क़ुरआन की आर्थिक शिक्षाएँ' के साथ इस पुस्तिका के अध्ययन से इस्लाम के आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी सिद्धान्तों को समझने में सहायता मिलेगी।

दिनांक : 15/07/2023 —**डॉ॰ फ़रहत हुसैन**

इस्लामी अर्थव्यवस्था

मानव-जीवन में जीविका ही सब कुछ नहीं है, फिर भी इसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। क़ुरआन ने माल और धन को मानव के अस्तित्व एवं स्थायित्व का साधन बताया है। अतएव कहा गया है—

"अपने माल (धन-सम्पत्ति), जिसे अल्लाह ने तुम्हारी स्थिरता का साधन बनाया है, नासमझ लोगों को न दो।" (क़ुरआन, 4:5)

धन-सम्पत्ति से हमारे कितने ही काम चलते हैं और कितने ही अच्छे और विकास के कार्य इसके द्वारा सम्पन्न होते हैं। इसी लिए माल को ख़ैर या भलाई भी कहा गया है। प्रामाणिक (Authentic) हदीस में आया है—

"अच्छे आदमी के लिए अच्छा धन उत्तम वस्तु है।"

(हदीस : अहमद)

अर्थव्यवस्था के विषय में साधारणतया चार पहलुओं से विचार किया जाता है—

1. धनोपार्जन (Creation of Wealth)
2. धन का वितरण (Distribution of Wealth)
3. धन का विनिमय (Exchange of Wealth)
4. धन का उपभोग (Consumption of Wealth)

अर्थव्यवस्था में इन सारे ही पहलुओं से न्याय का ध्यान रखना आवश्यक है। इसके साथ यह भी ज़रूरी है कि मनुष्य की जीविका उसके जीवन के दूसरे क्षेत्रों से असम्बद्ध होकर न रहे, बल्कि उसके और मानव के नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक आदि सारे ही विभागों के मध्य सामंजस्य पाया जाता हो। जीवन के किसी विभाग से उसका टकराव न पाया जाता हो। किन्तु हम देखते हैं कि यह विशेषता न पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में पाई जाती है और

न ही साम्यवादी अर्थव्यवस्था में इसका कहीं पता चलता है।

इस्लाम ने अर्थव्यवस्था को स्वतन्त्र रूप से कोई अलग विभाग घोषित नहीं किया है, बल्कि उसने इस विभाग का सम्बन्ध अपने दूसरे आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक विभागों से स्थापित किया है। जिस प्रकार मानव-शरीर के किसी अंग में कोई पीड़ा होती है तो उससे उसका पूरा शरीर प्रभावित होता है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक, आर्थिक या जीवन के किसी विभाग में अगर कोई ख़राबी पैदा होती है तो उससे जीवन के दूसरे विभाग भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। इस्लामी विचारधारा का ठीक और दुरुस्त होना इस पर निर्भर करता है कि उसके समस्त विभाग ठीक तौर पर सुदृढ़ हों। उनके मध्य पारस्परिक सामंजस्य और अनुकूलता भी स्थापित रहे। एक व्यक्ति यदि देखने में इस्लाम के नैतिक सिद्धान्तों का आदर करता हुआ दिखाई देता हो लेकिन आर्थिक मामले में वह यदि इस्लामी सिद्धान्तों की परवाह नहीं करता तो इस्लामी दृष्टिकोण से उसे कदापि सुशील और चरित्रवान नहीं कहा जा सकता। इस्लाम चाहता है कि समाज में परस्पर सहानुभूति की भावना क्रियान्वित हो और ईर्ष्या एवं दुश्मनी के स्थान पर लोगों के मध्य दोस्ती एवं सहयोग की भावना काम कर रही हो।

इस्लाम की दृष्टि में जगत् और उसमें पाई जानेवाली समस्त चीज़ों का वास्तविक स्वामी अल्लाह है और स्वयं मनुष्य का भी मालिक वही है। क़ुरआन में आया है—

> "आकाशों और धरती और जो कुछ उनके मध्य है सब पर बादशाही अल्लाह ही की है और सबको जाना भी उसी की ओर है।"
>
> (क़ुरआन, 5:18)

अल्लाह ने जगत् को मानव के लिए उपयुक्त और अनुकूल बनाया है और उसने इनसान को यह अधिकार दिया है कि वह जगत् और उसमें पाई जानेवाली चीज़ों से लाभ उठाए। अलबत्ता इस सिलसिले में अल्लाह द्वारा निर्धारित नियमों और क़ानूनों का ध्यान रखना आवश्यक है। क़ुरआन में है—

> "क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने जो कुछ आकाशों में और

जो कुछ धरती में है सब को तुम्हारे काम में लगा रखा है, और उसने तुमपर अपनी प्रकट और अप्रकट अनुकम्पाएँ पूर्ण कर दी हैं।"
(क़ुरआन, 31:20)

"वही है जिसने तुम्हारे लिए वह सब कुछ पैदा किया जो धरती में है।" (क़ुरआन, 2:29)

एक अन्य स्थान पर कहा–

"और धरती में हमने तुम्हें सत्ता और अधिकार प्रदान कर रखा है और उसमें तुम्हारे लिए जीवन-साधन उपलब्ध किए हैं।"
(क़ुरआन, 7:10)

ज्ञात हुआ कि जगत् की सारी चीज़ें और शक्तियाँ इनसान के लिए पैदा की गई हैं और ईश्वर ने जिन संसाधनों की व्यवस्था की है, वे किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, बल्कि सारे ही इनसानों के लिए पैदा किए हैं। उनसे लाभान्वित होने के लिए किसी विशेष वर्ण और वंश की कोई शर्त नहीं रखी है। अलबत्ता इनसान के लिए यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में वह अल्लाह के द्वारा निर्धारित नियमों और क़ानूनों का ध्यान रखे। अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा है, "वैध वह है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में वैध किया और अवैध वह है जिसको अल्लाह ने अपनी किताब में अवैध कर दिया और जिन चीज़ों में कुछ नहीं कहा, (अर्थात् जिनका वर्णन नहीं किया) वे क्षम्य हैं।"

फिर वैध और अवैध घोषित करने के आदेश भी अकारण ही नहीं दिए गए हैं, बल्कि वे इस सिद्धान्त पर निर्भर करते हैं–

"वह (पैग़म्बर अल्लाह के आदेश से) लोगों के लिए पवित्र चीज़ों को वैध और अपवित्र चीज़ों को अवैध ठहराता है।"
(क़ुरआन, 7:157)

इस्लाम ने जीवन के दूसरे विभागों की तरह आर्थिक मामले में भी इसका पूरा ध्यान रखा है कि किसी व्यक्ति पर अत्याचार न हो और न वह किसी पर अत्याचार करे। इसी लिए उसने उन सभी रास्तों को बन्द कर देना चाहा है जिनके द्वारा अत्याचार और अन्याय को फलने-फूलने का अवसर मिलता है।

उसने धनोपार्जन के अवैध तरीक़ों पर पाबन्दी लगा दी और आदेश दिया कि अवैध तरीक़ों से धन अर्जित करने से बचा जाए। क़ुरआन में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है–

> "ऐ ईमान लानेवालो, आपस में एक-दूसरे के माल ग़लत तरीक़े से न खाओ, यह और बात है कि तुम्हारी आपस की सहमति से कोई सौदा हो।" (क़ुरआन, 4:29)

इस सम्बन्ध में इस्लाम में चोरी, विश्वासघात, वेश्यावृत्ति (Prostitution), शराब, जुआ और ब्याज आदि का निषेध किया गया है।

लाभ कमाने और अनाज की क़ीमतें बढ़ाने के उद्देश्य से उसे रोके रखना वैध नहीं। यह जनसामान्य के लिए हानिकारक और दुखदायी है। इससे नागरिक व्यवस्था में बिगाड़ उत्पन्न होता है। इसी लिए पैग़म्बर (सल्ल॰) ने कहा है, "जमाख़ोरी करनेवालों पर धिक्कार (लानत) है।"

अपने माल और आजीविका की उन्नति के लिए प्रयास करना वैध है, बल्कि समाज के स्थायित्व के लिए यह आवश्यक भी है। एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर व्यापार करना, लोगों के माल को कोशिश करके विक्रय करा देना, उत्तम चीज़ें तैयार करना, अपनी योग्यता और कुशलता के द्वारा कोई लाभदायक और हितकर चीज़ का आविष्कार करना, ऐसे समस्त कार्य इस्लाम की दृष्टि में प्रशंसनीय हैं जिनसे लोगों की आर्थिक स्थिति के बेहतर होने की आशा की जा सकती हो। अलबत्ता इस सम्बन्ध में इस बात का ख़याल रखना आवश्यक है कि संसाधन ऐसे अपनाए जाएँ जिनकी मूलात्मा सहयोग हो। ऐसे तरीक़ों को अपनाना निषिद्ध होगा जिनसे समाज का कोई वर्ग अत्यन्त कठिनाई में पड़ता हो या जिनसे जन-समान्य के जीवन में तंगी पैदा होती हो।

कमाई के अवैध तरीक़ों को त्यागने के पश्चात् मनुष्य को इसका पूरा अधिकार प्राप्त है कि वह आजीविकोपार्जन के लिए वैध तरीक़े अपनाए। खेती या व्यापार आदि के माध्यम से धन कमाने का उसे पूर्ण अधिकार है।

धन कहाँ ख़र्च हो? ख़र्च करने के सही तरीक़े क्या हैं? इस सम्बन्ध में

सही मार्गदर्शन हमें इस्लाम ही के द्वारा प्राप्त होता है। भौतिकवादी प्रवृत्ति के लोग तो धन को केवल अपने आप पर ख़र्च करना जानते हैं। या फिर ऐसे लोग अपने धन को और अधिक बढ़ाने के ध्येय से उसे कारोबार आदि में लगाते हैं। इसके विपरीत इस्लामी दृष्टिकोण से अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर उचित सीमा के अन्दर ख़र्च करने के अतिरिक्त ख़र्च के बहुत-से मद (विभाग) हैं जो अपने आप पर ख़र्च करने की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। उदाहरणार्थ सत्य के प्रचार एवं प्रसार के लिए माल ख़र्च करना, नातेदारों, अनाथों, दीन-दुखियों और मुसाफ़िरों तथा ज़रूरतमन्दों की ज़रूरतें पूरी करने में या ग़ुलामी से लोगों को आज़ाद करने या ऋण के बोझ से दबे हुए लोगों को ऋण से मुक्त कराने आदि में माल ख़र्च करना। इस प्रकार का ख़र्च करना हमारे ईमान की अपेक्षा है। इसी प्रकार इस्लाम हमें आदेश देता है कि हम नातेदार पड़ोसी, अपरिचित पड़ोसी और साथ उठने-बैठनेवालों के साथ सद्व्यवहार करने और अभाव-ग्रस्त लोगों की सहायता करने में भी अपना माल ख़र्च करें जो अल्लाह के मार्ग में ऐसे घिर गए हों कि धरती में अपनी रोज़ी कमाने के लिए दौड़-भाग नहीं कर सकते।[1]

---

1. 1998 ई॰ में अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार प्राप्त करनेवाले प्रोफ़ेसर अमृत्य सेन अपने अध्ययन, खोज और अनुभवों से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि निजी लाभों के चतुर्दिक घूमते रहने के बदले अर्थ-व्यवस्था का केन्द्र-बिन्दु सामाजिक कल्याण होना चाहिए। अर्थ-व्यवस्था के विषय में आवश्यक है कि उसमें परोपकार और जनसेवा की भावना काम कर रही हो। पूँजी और बाज़ार पर आधारित आज के अर्थ-तंत्र में नैतिकता और मानवीय मूल्यों की उपेक्षा कर दी गई है। इसकी शिकायत रस्किन ने भी आज से एक सदी पूर्व 'Unto the Last' में की थी। प्रो॰ सेन की दृष्टि में अर्थशास्त्र को 'कल्याणकारी अर्थशास्त्र (Welfare Economics) होना चाहिए। जब तक आपस के सामाजिक सम्बन्धों और परस्पर एक-दूसरे के अधिकारों के मूल्यों को महत्व नहीं दिया जाता किसी देश की आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। देश के केवल पूँजीपति वर्ग की ख़ुशहाली को देश और राष्ट्र की ख़ुशहाली नहीं कहा जा सकता। वह अर्थ-व्यवस्था त्रुटिपूर्ण और ज़ुल्म पर आधारित है जिसमें ग़रीबों, मुहताजों, बेरोज़गारों और अभावग्रस्त लोगों को बिलकुल अनदेखा कर दिया गया हो। एक चौंका देनेवाली सच्चाई यह है कि 1944 ई॰ का बंगाल का आकाल, जिसमें 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, अनाज की कमी के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों की अयोग्यता के कारण पड़ा था जो सरकार की ओर से अनाज के वितरण के काम पर नियुक्त थे।

.ख़र्च की एक महत्वपूर्ण मद (विभाग) आर्थिक प्रायश्चित भी हैं। अपने गुनाहों और कोताहियों के निवारण के लिए इस्लाम में आर्थिक प्रायश्चित का नियम रखा गया है। उदाहरणार्थ, जो व्यक्ति क़सम खाकर क़सम तोड़ दे तो उसे दस मुहताजों को खाना खिलाना होगा या उनको कपड़ा देना होगा या फिर एक ग़ुलाम आज़ाद करना होगा और जो ऐसा न कर सके तो वह तीन दिन के रोज़े रखे। (क़ुरआन, 5:89)

फिर ज़कात को इस्लाम के पाँच अरकान (स्तम्भों)—ईमान, नमाज़, ज़कात, रोज़ा और हज—में से तीसरा रुक्न (स्तम्भ) क़रार दिया गया है और बताया गया है कि ज़कात हमेशा ही इस्लाम का रुक्न रही है। ज़कात के अतिरिक्त मीरास (मृतक द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति) के बँटवारे के द्वारा भी इस्लाम माल को एक जगह रखने के बदले उसे आदमी के नातेदारों में फैला देता है।

इसके अतिरिक्त सामान्य सदक़ा और.ख़ैरात या दान करने पर भी इस्लाम लोगों को उभारता है। सदक़ों के द्वारा ग़रीबों और ज़रूरतमन्दों के साथ उपकार और सहानुभूति का प्रदर्शन होता है। मुहताज ही नहीं जो खाते-पीते लोग हैं उनके साथ भी भाईचारे और सहानुभूति का प्रदर्शन उपहार के द्वारा होता है। पैग़म्बर (सल्ल॰) ने दान और सदक़ा पर ही नहीं, उपहार भेजने पर भी उभारा है ताकि समाज के हर वर्ग के साथ भाईचारे और प्रेम का सम्बन्ध सुदृढ़ हो सके।

ख़र्च की एक महत्वपूर्ण मद (विभाग) वक़्फ़ है, अर्थात् कोई माल या जायदाद ज़रूरतमन्दों के लिए इस प्रकार प्रदान कर दीया जाए कि उसका मूल हमेशा शेष रहे और उसके लाभों से ज़रूरतमन्दों की ज़रूरत पूरी होती रहे।

पवित्र क़ुरआन में वर्णित सिद्धान्तों एवं ईश प्रदत्त तत्वदर्शिता की रोशनी में पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) ने अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए जो निर्देश दिए उनमें से कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) की आर्थिक शिक्षाएँ

धन और उसकी हैसियत

सम्पत्ति की हैसियत

(1) हज़रत अबू-सईद .ख़ुदरी (रज़ि०) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कहा, "यह माल हरा-भरा और मन-भावन अवश्य है और मुसलमान का माल तो क्या ही अच्छा है! जो उसे सत्य के साथ हासिल करे फिर उसे ईश्वरीय मार्ग में, अनाथों, दीन-हीनों और मुसाफ़िरों पर ख़र्च करता रहे। इसके विपरीत जो व्यक्ति उसे हक़ के साथ हासिल नहीं करता (अवैध रूप से प्राप्त करता है) वह उस खानेवाले व्यक्ति की तरह है जिसकी भूख कभी नहीं मिटती और वह माल उसके विरुद्ध क़ियामत (प्रलय) के दिन गवाही देगा।"

(हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : इस कथन से भली-भाँति यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस्लामी अर्थव्यवस्था का विशिष्ट गुण क्या है। इसमें सन्देह नहीं कि माल और धन का मिलना ईश्वर का एक बड़ा अनुग्रह है। यह मधुर भी है और आनन्दप्रद भी। लेकिन फिर भी मानव-जीवन में माल अपने-आप में लक्ष्य नहीं है। वास्तव में माल उस व्यक्ति के लिए एक सुखद पदार्थ है जो धन प्राप्त करने में वैध और उचित तरीक़े अपनाता है और उसके .ख़र्च करने में भी इसका ध्यान रखता है कि वह ग़लत कामों में .ख़र्च न हो। माल कहाँ .ख़र्च करना चाहिए और कहाँ नहीं, इसे न केवल यह कि वह जानता है बल्कि उसे व्यवहार में भी लाता है। फिर एक आस्थावान व्यक्ति से ही यह आशा की जा सकती है कि वह धनोपार्जन में वैध और अवैध तरीक़ों के मध्य अन्तर करेगा। वह माल प्राप्त करने के लिए ऐसे तरीक़े कदापि नहीं अपनाएगा जो ज़ुल्म और अन्याय पर आधारित होंगे। इसी प्रकार माल के .ख़र्च करने में भी वह स्वार्थपरता से काम नहीं लेगा।

(2) हज़रत अबू-सईद .ख़ुदरी (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "यह माल हरा-भरा और चित्ताकर्षक है। जो व्यक्ति उसे वैध तरीक़े से प्राप्त करे और वैध कामों में ख़र्च करे तो वह अत्योत्तम सहायक है। और जो व्यक्ति इसे अवैध तरीक़े से प्राप्त करे तो वह उस व्यक्ति की तरह होता है जो खाता रहता है किन्तु पेट नहीं भरता और वह माल क़ियामत के दिन उसके विरुद्ध साक्षी होगा।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

व्याख्या : इस हदीस में बताया गया है कि माल आदमी के लिए सुखकर भी है और वह उसके लिए दुखद भी बन सकता है। यह आदमी की उस नीति पर निर्भर करता है जो वह माल-दौलत के सम्बन्ध में अपनाता हैं। जो लोग धन कमाने के लिए अवैध और .ग़लत तरीक़े नहीं अपनाते बल्कि हमेशा उसके लिए वैध और ठीक तरीक़ा ही अपनाते हैं और माल को वैध मदों (विभागों) ही में .ख़र्च करते हैं, माल से जहाँ वे अपनी निजी ज़रूरतें पूरी करते हैं, वहीं वे उसे अपने नातेदारों, दीन-दुखियों, निर्धनों पर और धार्मिक कार्यों में भी ख़र्च करते हैं और भलाई के कामों में माल ख़र्च करने को वे अपने लिए सौभाग्य समझते हैं, उनके लिए उनका माल कष्टदायक नहीं, बल्कि सर्वोत्तम सहायक सिद्ध होता है। माल से उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहती है और उसके द्वारा वे ईश-प्रसन्नता भी प्राप्त करते हैं।

(3) हज़रत मुसअब-बिन-सअद (रज़ि॰) बयान करते हैं कि (मेरे पिता) हज़रत सअद (रज़ि॰) ने समझा कि उन्हें अपने से निम्न स्तर के लोगों पर श्रेष्ठता प्राप्त है। अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "तुम्हें (ईश्वरीय) सहायता और आजीविका केवल तुम्हारे कमज़ोरों (निर्धनों) और असहाय लोगों के कारण मिलती है।" (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : हज़रत सअद (रज़ि॰) को वीरता और दानशीलता में विशिष्ठ स्थान प्राप्त था। उन्हें यह .ख़याल हुआ कि कमज़ोरों और निर्धनों की अपेक्षा उन्हें श्रेष्ठता प्राप्त है। नबी (सल्ल॰) ने इस .ख़याल के सुधार के उद्देश्य से वह बात कही जिसका इस हदीस में बयान हुआ हैं। आप (सल्ल॰) के कथन का अर्थ यह है कि सोचने का यह अन्दाज़ ठीक नहीं हैं। लोगों के दिलों में तो ऐसे लोगों के लिए आदर और सम्मान का भाव होना चाहिए जो देखने में

उनकी अपेक्षा निम्न दिखाई देते हैं।

(4) नबी (सल्ल०) के शिष्यों में से एक व्यक्ति से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कहा, "ऐसे व्यक्ति के लिए धनवान होना कोई बुरी चीज़ नहीं जो ईश्वर का डर रखे और ईश-परायण व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य धन से उत्तम है और हार्दिक प्रसन्नता ईश्वर की अनुकम्पाओं में से एक अनुकम्पा है।" (हदीस : इब्ने-माजा, अहमद)

व्याख्या : धन ईश्वर प्रदत्त एक सुखद वस्तु है यदि इसके साथ ईशपरायणता भी हो। आदमी यदि ईश्वर से डरता है और धन-दौलत को उसकी सही जगह ख़र्च करे तो धन के द्वारा वह ईश-प्रसन्नता और स्वर्ग के ऊँचे दरजों को प्राप्त कर सकता है।

स्वास्थ्य, मन की शान्ति और ख़ुशी—ये सब ईश्वर की प्रदान की हुई सुखद वस्तुएँ हैं। किसी को यदि ये वस्तुएँ प्राप्त हैं तो उसे ईश्वर का आभारी और शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उसने उसको ऐसी सुखद वस्तुएँ प्रदान की हैं, जिनसे कितने ही लोग वंचित हैं।

(5) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र (रज़ि०) बयान करते हैं कि मैंने नबी (सल्ल०) को यह कहते हुए सुना, "जो व्यक्ति अपने माल की रक्षा करते हुए मारा जाए वह शहीद है।" (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : इससे भली-भाँति अनुमान किया जा सकता है कि इस्लाम ने धन-दौलत को कितना महत्व दिया है।

(6) हज़रत आमिर-बिन-सअद-बिन-मालिक से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कहा, "तुम अपनी सन्तान को सम्पन्न छोड़ जाओ तो यह इससे उत्तम है कि तुम उन्हें निर्धन छोड़कर जाओ कि वे लोगों से माँगते फिरें।" (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : अर्थात् धार्मिक दृष्टि से यह कोई ग़लत बात नहीं है कि आदमी इस बात की चिन्ता करे कि उसके पीछे उसकी सन्तान की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। ऐसा न हो कि वह दरिद्र हो और लोगों के सामने हाथ फैलाने पर विवश हो।

नबी (सल्ल॰) के इस कथन का एक परिप्रेक्ष्य भी है जिससे इस हदीस को समझने में सुविधा होगी। हज़रत सअद-बिन-अबी-वक़्क़ास (रज़ि॰) का हाल-चाल मालूम करने के लिए नबी (सल्ल॰) गए। उन्होंने नबी (सल्ल॰) से कहा कि मैं अपने सारे माल की वसीयत कर जाऊँ (कि वह अल्लाह की राह में ख़र्च किया जाए) तो आप (सल्ल॰) ने कहा, "नहीं!" फिर उन्होंने आधे माल की वसीयत की इच्छा व्यक्त की। फिर आप (सल्ल॰) ने कहा, "नहीं"। उन्होंने तिहाई माल के लिए अनुमति चाही तो आप (सल्ल॰) ने कहा, "तिहाई में कोई दोष तो नहीं किन्तु यह भी अधिक है। तुम अपने वारिसों को धनवान छोड़ जाओ यह इससे उत्तम है कि उनको निर्धन छोड़कर जाओ कि लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। तुम जो भी पुण्यार्थ ख़र्च करोगे वह सदक़ा (दान) है। यहाँ तक कि जो निवाला तुम अपनी पत्नी के मुँह में उठाकर दोगे उसकी गणना भी सदक़े में होगी।" तात्पर्य यह है कि अपनी सन्तान के लिए यदि धन तुम छोड़ोगे तो ऐसा नहीं है कि उसकी गणना नेकी में न होगी। अपनी पत्नी को जो खिलाते-पिलाते हो वह भी तुम्हारे नेक कामों में गिना जाता है।

(7) हज़रत हकीम इब्ने-हिज़ाम (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "यह धन हरित और मधुर है। अतः जो व्यक्ति इसे आत्मा की पवित्रता के साथ लेगा उसके लिए इसमें बरकत होगी और जो कोई इसे कृपण-मन के साथ लेगा, उसके लिए इसमें बरकत न होगी। और वह उस व्यक्ति की तरह है जो खाता है किन्तु पेट नहीं भरता। और ऊपरवाला हाथ नीचेवाले हाथ से उत्तम है।" (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : धन एक ईश्वरीय अनुग्रह और हृदयाकर्षक चीज़ है। उसे प्राप्त करना बुरा नहीं, लेकिन आवश्यक है कि उसके साथ आत्मा की पवित्रता तथा मन की दानशीलता हो। धन प्राप्त करना ही नहीं, आदमी को अच्छे और नेक कामों में ख़र्च करना भी आता हो। यह बात अगर है तो धन में बरकत होगी, धन उसके लिए भलाई का कारण होगा। लेकिन धन प्राप्त करनेवाला यदि कन्जूस है तो वह धनवान होकर भी दरिद्र ही रहेगा। उसका लोभ कभी समाप्त होने का नहीं। ऊपरवाला हाथ अर्थात् देनेवाला हाथ नीचेवाले हाथ (लेनेवाले हाथ) से उत्तम है। यह कहकर नबी (सल्ल॰) ने इस बात पर

उभारा है कि आदमी का हौसला यह होना चाहिए कि वह देनेवाला बनने की कोशिश करे, न कि वह लेनेवाला मुहताज बनकर रहे।

(8) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "आदमी के लिए यही गुनाह बहुत है कि अपनी रोज़ी विनष्ट करे या जिन लोगों की रोज़ी उसके ज़िम्मे है उनको तबाह करे।"

(हदीस : अबू-दाऊद)

व्याख्या : अर्थात् गुनाहगार होने के लिए यही काफ़ी है कि आदमी माल को बरबाद करे और अनावश्यक और फ़ुज़ूल कामों में ख़र्च करे। जिनकी देखभाल और पालन-पोषण उसके ज़िम्मे है उनकी उसे कोई चिन्ता न हो, बल्कि अपना धन वह कहीं और ख़र्च करता हो।

(9) "हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "जो व्यक्ति हलाल और वैध तरीक़े से दुनिया (अर्थात धन-सपत्ति) इस उद्देश्य से प्राप्त करे कि वह किसी के आगे हाथ फैलाने से बच सके और अपने परिवार की आवश्यकताएँ पूरी कर सके और अपने पड़ोसी का भी हित कर सके तो वह क़ियामत के दिन प्रतापवान ईश्वर से इस अवस्था में मिलेगा कि उसका चेहरा पूर्णिमा के चाँद के सदृश होगा। इसके विपरीत जो व्यक्ति इस उद्देश्य से धन प्राप्त करने की कोशिश करे ताकि उसके धन में अभिवृद्धि हो, वह लोगों के सामने इसपर गर्व करे और उसे प्रसिद्धि प्राप्त हो तो वह क़ियामत के दिन ईश्वर से इस दशा में मिलेगा कि ईश्वर उस पर अत्यन्त क्रुद्ध होगा।" (हदीस : बैहक़ी, शोबुल-ईमान)

व्याख्या : यह हदीस बताती है कि धन की चाहत और उसे प्राप्त करने की चिन्ता कोई इस्लाम विरुद्ध बात नहीं है। किन्तु इसके लिए आवश्यक है कि धन के प्राप्त करने के संसाधन वैध हों। मनुष्य के लिए धन स्वयं अपने-आप में कोई लक्ष्य न हो, बल्कि वह अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा और परिजनों के भरण-पोषण के लिए धन कमाता हो और इसके पीछे उसका उद्देश्य यह हो कि वह दूसरों के भी काम आ सके।

(10) हज़रत ज़ुबैर-बिन-नुफ़ैर (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के

रसूल (सल्ल०) ने कहा, "मेरी ओर यह वह्य (प्रकाशना) नहीं की गई है कि मैं धन एकत्र करूँ और व्यापारी बनूँ, बल्कि मेरी ओर यह प्रकाशना की गई है कि अपने रब की प्रशंसा करो और सजदा करनेवालों में सम्मिलित हो और अपने रब की इबादत और बन्दगी करते रहो, यहाँ तक कि जो निश्चयात्मक और विश्वसनीय है वह तुम्हारे समक्ष आ जाए।" (हदीस : शरहुस्सुन्नह)

व्याख्या : इस हदीस में क़ुरआन (15 : 98, 99) के हवाले के साथ यह बात व्यक्त की गई है कि मानव-जीवन में मौलिक और शाश्वत मूल्य रखनेवाली चीज़ कौन-सी है। धन-दौलत का महत्त्व अपनी जगह पर है, व्यापार में भी कोई बुराई नहीं, लेकिन इसको कभी नहीं भूलना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य एवं उद्देश्य भौतिक सुख नहीं हो सकता। जीवन का वास्तविक अभिप्राय और उद्देश्य है ईश्वर की पहचान और उसके आदेशानुसार जीवन-यापन करना।

(11) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि०) बयान करते हैं कि मैंने उमर (रज़ि०) को यह कहते हुए सुना है कि नबी (सल्ल०) मुझे कुछ देते तो मैं कहता कि आप इसे उस व्यक्ति को दीजिए जो मुझसे अधिक ज़रूरतमन्द हो, यहाँ तक कि एक बार आप (सल्ल०) ने मुझे कुछ माल दिया तो मैंने कहा कि यह आप उसको दे दें जो मुझसे अधिक ज़रूरतमन्द हो। इसपर नबी (सल्ल०) ने कहा, "इसे लेकर मालदार हो और फिर इसको सदक़ा (दान) कर दो। यदि यह माल तुम्हारे पास इस तरह आए कि न तो तुम उसकी प्रतीक्षा में हो और न तुम माँगनेवाले हो तो उसको ले लो, और जो न आए तो उसके पीछे अपने मन को न लगाओ।" (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : अर्थात् माल मिल रहा हो तो उसकी क़द्र करनी चाहिए अलबत्ता तुम्हें माल का लोभी नहीं होना चाहिए और न उसकी प्रतीक्षा में रहना चाहिए कि कोई तुम्हें माल लाकर देगा। यदि बिना माँगे और बिना लोभ-लालच के माल मिल रहा है तो उसे ले लेना चाहिए। यदि तुम्हें उसकी आवश्यकता नहीं है तो उससे तुम दूसरों की आवश्यकताएँ पूरी कर सकते हो।

धनोपार्जन

धनोपार्जन का महत्व

(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "अल्लाह पाक है, पाक चीज़ों को ही वह स्वीकार करता है, और अल्लाह ने ईमानवालों को भी इसी बात का आदेश दिया जिसका आदेश उसने रसूलों को दिया है। अतः उसका कथन है : ऐ रसूलो! उत्तम पवित्र चीज़ें खाओ और अच्छा कर्म करो (क़ुरआन, 23:51) और कहा : ऐ ईमान लानेवालो, पाक और उत्तम चीज़ें खाओ जो हमने तुम्हें प्रदान की हैं। (क़ुरआन, 2:172)

(हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : मालूम हुआ कि धर्म यह नहीं है कि आदमी खाना-पीना त्याग दे, बल्कि धर्म वास्तव में यह है कि आदमी खाए किन्तु विशुद्ध और उत्तम चीज़ें खाए। हराम की कमाई से दूर रहे। और खा-पीकर धरती में बिगाड़ पैदा न करे बल्कि वह सुचरित्र और सुशील बनकर रहे। खाने-पीने में वैध और अवैध, पवित्र और अपवित्र में अन्तर करनेवाले से इस बात की आशा की जाएगी कि जीवन के अन्य मामलों में भी उसे अच्छे और बुरे की परख होगी। वह जीवन में वही कर्म करेगा जो अच्छे होंगे, बुरे कर्मों से वह हमेशा दूर रहेगा।

(2) हज़रत आइशा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा, "जो कुछ तुम खाते हो उसमें सबसे पाक और बेहतर वह है जो तुम्हें अपनी कमाई से प्राप्त हुई हो, और तुम्हारी सन्तान भी तुम्हारी कमाई है।"

(हदीस : तिरमिज़ी, नसई)

व्याख्या : अर्थात् अपनी औलाद की कमाई खाने में तुम्हारे लिए कोई लज्जा की बात नहीं है। औलाद की कमाई तुम्हारी अपनी कमाई है।

(3) हज़रत राफ़ेअ-बिन-ख़दीज (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) से पूछा गया कि कौन-सी कमाई सबसे उत्तम है? आप (सल्ल॰) ने कहा, "मनुष्य का अपने हाथ से काम करके कमाना और प्रत्येक ईमानदारी का सौदा।" (हदीस : अहमद)

व्याख्या : इस्लाम न तो मुफ़्तख़ोरी को पसन्द करता है और न इसको वैध ठहराता है कि आदमी आजीविका प्राप्त करने के लिए ऐसे संसाधन अपनाए जिनकी गणना धोखाधड़ी, अन्याय एवं अत्याचार और शोषण (Exploitation) के कामों में होती है। आजीविका के लिए आदमी को परिश्रम करना चाहिए। इसके लिए वह व्यापार भी कर सकता है। शर्त यह है कि अपने व्यापार में वह शरीअत के आदेशों का पूरा ध्यान रखे।

(4) हज़रत मिक़दाम (रज़ि॰) अल्लाह के रसूल से रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल॰) ने कहा, "उस व्यक्ति से अच्छा खाना किसी ने नहीं खाया जो अपने हाथ से काम करके खाए। अल्लाह के नबी दाऊद (अलैहि॰) अपने हाथ से काम करके खाते थे।" (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : अर्थात् सर्वोत्तम आजीविका वह है जो आदमी के अपने परिश्रम से प्राप्त हो। अल्लाह के पैग़म्बर हज़रत दाऊद (अलैहि॰) का तरीक़ा भी यही रहा है कि वे अपने हाथ से परिश्रम करके खाते थे।

(5) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "तुममें से कोई लकड़ियाँ एकत्र करके अपनी पीठ पर गट्ठा लादकर लाए यह उससे अच्छा है कि वह किसी से माँगे, फिर वह उसको दे या उसे न दे।" (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : इस्लाम आत्म-सम्मान को बड़ा महत्व देता है। इसी लिए नबी (सल्ल॰) की शिक्षा यह है कि लोगों के सामने अपनी ज़रूरतें रखने और याचक बनकर उनके सामने जाने का अपमान सहन करने से अच्छा यह है कि आदमी लकड़ियों का गट्ठर अपनी पीठ पर लादकर लाए और बेचकर अपनी आवश्यकताएँ पूरी करे।

(6) हज़रत सौबान (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰)

ने कहा, "जो व्यक्ति मुझे इस बात का वचन दे कि वह लोगों से माँगेगा नहीं तो मैं उसके लिए जन्नत का वचन देता हूँ।" (हदीस : अबू-दाऊद)

व्याख्या : अपनी समस्त आशाएँ एक ईश्वर से ही सम्बद्ध हों। आदमी के सोचने का ढंग यह हो कि उससे लोगों को अधिक-से-अधिक लाभ पहुँचे किन्तु वह स्वयं लोगों से कोई अपेक्षा न रखता हो। वह लोगों का सहारा न तलाश करे। ऐसे व्यक्ति को जो हार्दिक शान्ति प्राप्त होगी, उसका तो सामान्य व्यक्ति अनुमान भी नहीं कर सकता। फिर उसकी यह नीति इस्लाम के स्वभाव के इतना अधिक अनुकूल है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) उसके लिए जन्नत का वचन देते हैं।

श्रम और मज़दूरी

(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा कि अल्लाह का कथन है कि "तीन व्यक्ति ऐसे हैं कि क़ियामत के दिन उनके विरुद्ध मैं मुक़द्दमा खड़ा करूँगा—एक वह व्यक्ति जिसने मेरा हवाला देकर कोई समझौता किया फिर उसे तोड़ दिया। दूसरा वह जिसने किसी स्वतंत्र आदमी को बेच दिया और उसकी क़ीमत खाई और तीसरा वह जिसने किसी मज़दूर को काम पर लगाया, उससे पूरा काम लिया और उसको उसकी मज़दूरी न दी।" (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : ये तीनों ही काम अत्यन्त अन्यायपूर्ण हैं। एक यह कि सन्धि भंग करना। दूसरे किसी आज़ाद व्यक्ति का अपहरण करके उसे किसी के हाथ बेच देना। तीसरे किसी मज़दूर से काम तो पूरा लेना और उसको मज़दूरी से वंचित रखना। यह और इस प्रकार के अन्य कर्म अत्यन्त अन्यायपूर्ण हैं। इस प्रकार का ज़ुल्म करनेवाले के विरुद्ध ईश्वर स्वयं मुद्दई (वादी) होगा और उन्हें उनके ज़ुल्म का मज़ा चखाएगा।

(2) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "मज़दूर को उसकी मज़दूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो।" (हदीस : इब्ने-माजा)

व्याख्या : मज़दूर को मज़दूरी देने में टाल-मटोल से काम लेना खुला

हुआ अन्याय है। मज़दूर को मज़दूरी देने में यथा सम्भव विलम्ब नहीं होना चाहिए। कोशिश यह होनी चाहिए कि मज़दूर को मज़दूरी तुरन्त दे दी जाए।

यहाँ यह बात भी सामने रहे कि मज़दूर से काम लेने से पहले उसकी मज़दूरी तय कर लेनी चाहिए। हदीस में है, "अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने मज़दूर की मज़दूरी उसपर स्पष्ट किए बिना उसे मज़दूर रखने से मना किया है।" (हदीस : मुस्नद अहमद)

व्यापार और क्रय-विक्रय

(1) हज़रत क़ैस-बिन-अबी-ग़रज़ा (रज़ि०) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कहा, "ऐ व्यापारी जन! क्रय-विक्रय में व्यर्थ बातें और क़सम खाने की स्थितियाँ आती हैं। अतः क्रय-विक्रय (व्यापार) के साथ दान और सदक़ा को मिलाए रखो।" (हदीस : अबू-दाऊद, तिरमिज़ी, नसई, इब्ने-माजा)

व्याख्या : जीविकोपार्जन के लिए व्यापार और व्यवसाय करने की इस्लाम अनुमति देता है। कारोबार में असावधानी की आशंकाएँ भी पाई जाती हैं। आदमी कारोबार में व्यर्थ बातें भी करता है और अपने ग्राहकों को सन्तुष्ट करने के लिए क़समें भी खाने लगता है जो कोई अच्छी बात नहीं है। इससे आदमी को बचना चाहिए। व्यापार के साथ सदक़ा और ख़ैरात भी करते रहना चाहिए ताकि यदि कुछ अनुचित बातें हो गई हों तो यह सदक़ा उसका प्रायश्चित बन सके।

(2) हज़रत उबैद-बिन-रिफ़ाआ अपने पिता (हज़रत रिफ़ाआ-बिन-राफ़ेअ रज़ि०) के माध्यम से उल्लेख करते हैं कि नबी (सल्ल०) ने कहा, "क़ियामत के दिन व्यापारी अवज्ञाकारियों के साथ एकत्र किए जाएँगे, सिवाय उन व्यापारियों के जो ईश्वर से डरते थे और जिन्होंने पूरा हक़ अदा किया और सच्चाई पर क़ायम रहे।" (हदीस : तिरमिज़ी, इब्ने-माजा, दारमी)

व्याख्या : व्यापारी अवज्ञाकारियों और उल्लंघनकारियों के साथ इसलिए एकत्र किए जाएँगे क्योंकि व्यापार में अधिकतर लोग झूठ बोलने और धोखा देने से नहीं बचते। अलबत्ता ऐसे व्यापारी इसके अपवाद हैं, व्यापार में जिनकी नीति नेकी और ईशपरायणता के विरुद्ध नहीं होती। प्रत्येक दशा में जो सच्चाई

पर क़ायम रहते हैं। न झूठ बोलते हैं और न किसी प्रकार का धोखा देते हैं।

(3) हज़रत अबू-क़तादा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "क्रय-विक्रय में अधिक क़समें खाने से बचो क्योंकि इससे व्यापार में वृद्धि तो (क्षणिक रूप से) होती है, किन्तु फिर बरकत समाप्त हो जाती है।"
(हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : अर्थात् आरम्भ में लोग क़समों के कारण विश्वास करके ख़रीदारी की ओर झुकते हैं और इससे व्यापारी को लाभ भी होता है। किन्तु इससे बरकत जाती रहती है। आदमी पर विश्वास नहीं रह जाता।

(4) हज़रत उक़बा-बिन-आमिर (रज़ि॰) कहते हैं कि मैंने नबी (सल्ल॰) को यह कहते हुए सुना कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, किसी मुसलमान व्यक्ति के लिए यह वैध नहीं कि वह अपने भाई के हाथ कोई चीज़ बेचे और वह त्रुटिपूर्ण हो, यह और बात है कि वह त्रुटि को साफ़-साफ़ उससे बयान कर दे।" (हदीस : इब्ने-माजा)

व्याख्या : हदीस में मुसलमान का उल्लेख है और यह इस कारण है कि मुसलमान समाज में यह निर्देश दिया जा रहा है। वरना यह निर्देश समस्त मानवों के सम्बन्ध में है। अर्थात् चीज़ में यदि कोई त्रुटि या ख़राबी है तो ख़रीदार को उसे त्रुटि से अवगत कराना आवश्यक है। यदि ख़रीदार से त्रुटि को छिपाकर सामान बेच दिया जाता है तो यह अपने भाई को धोखा देना है, जो किसी प्रकार भी वैध नहीं हो सकता। यहाँ यह बात स्पष्ट रहे कि इस्लाम की नज़र में किसी को भी धोखा देना पाप है।

(5) हज़रत मिक़दाम-बिन-मादीकरिब (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा, "अपना अनाज नाप लिया करो, तुम्हारे लिए बरकत दी जाएगी।" (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : अनाज को नाप-तौलकर रखनेवाला व्यावहारिक रूप में इसका सुबूत देता है कि वह अनाज के मूल्य और महत्व को जानता है। इसलिए वह उसे ग़लत तरीक़े पर ख़र्च भी नहीं कर सकता। इससे बरकत होती है। इसके अतिरिक्त पैमानों (मापों) में बरकत की दुआ भी नबी (सल्ल॰) ने की है।
(हदीस : बुख़ारी)

(6) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने नापने और तौलनेवालों से कहा, "तुम्हारे हाथ में दो कार्य ऐसे हैं (अर्थात् नापने और तौलने के कार्य) जिनके कारण तुमसे पहले की क़ौमें विनष्ट हो चुकी हैं।" (हदीस : तिरमिज़ी)

व्याख्या : अर्थात् पहले ऐसी क़ौमें और जातियाँ गुज़री हैं जिनके लोग नाप-तौल को ठीक नहीं रखते थे। जब कुछ लेते तो पूरा-पूरा नाप-तौलकर लेते, लेकिन जब किसी को देते तो नाप-तौल में कमी कर देते थे। जब यह बुराई बहुत बढ़ गई तो अल्लाह का अज़ाब (यातना) उनपर उतरा और वे क़ौमें विनष्ट होकर रह गईं। इस हदीस में लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि वे नाप-तौल में कमी करने से बचें क्योंकि यह चीज़ अल्लाह के प्रकोप का कारण बन सकती है।

(7) हज़रत अनस (रज़ि॰) बयान करते हैं कि नबी (सल्ल॰) के समय में एक बार अनाज मँहगा हो गया तो लोगों ने कहा कि, ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे लिए भाव निश्चित कर दीजिए। आप (सल्ल॰) ने कहा, "अल्लाह ही मूल्य और भाव निश्चित करनेवाला, वही तंगी पैदा करनेवाला और वही कुशादगी पैदा करनेवाला है, और मैं तो इस बात की आशा और इच्छा रखता हूँ कि मैं अपने रब से इस दशा में मिलूँ कि मुझपर तुममें से किसी के ख़ून (का बदला) और माल की माँग न हो।" (हदीस : तिरमिज़ी, अबू-दाऊद, इब्ने-माजा, दारमी)

व्याख्या : "अल्लाह ही मूल्य और दर निर्धारित करता है।" अर्थात् चीज़ों का महँगी या सस्ती होना अल्लाह ही के हाथ में है। कभी लोग तंगी में पड़ जाते हैं और कभी अल्लाह रोज़ी में कुशादगी पैदा कर देता है। स्थितियों के अंतर्गत चीज़ें महँगी होती हैं और स्थितियों ही के कारण वे सस्ती होती हैं। उदाहरणार्थ, अगर किसी चीज़ की पैदावार बढ़ जाए तो अनिवार्यतः उसका प्रभाव उसके मूल्य और दर पर पड़ेगा। उसका भाव गिर जाएगा। इसके विपरीत उत्पादन की कमी से चीज़ों के मूल्य बढ़ जाते हैं। इस प्रकार लोगों की माँग (Demand) भी चीज़ों के मूल्य को प्रभावित करती है, जिस चीज़ की माँग अधिक होगी उसका मूल्य बढ़ जाएगा। कृत्रिम रूप से चीज़ों को सस्ती करने की कोशिश उचित नहीं है।

क्रय-विक्रय के कुछ सिद्धान्त और नियम

(1) हज़रत जाबिर (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "अल्लाह उस व्यक्ति के साथ दयालुता का व्यवहार करेगा जो उस समय नर्मी और सुशीलता से काम ले जब वह माल बेचे और जब वह .ख़रीदे और जब वह क़र्ज़ की वुसूली करे।" (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : अच्छे समाज के लिए आवश्यक है कि लोग परस्पर एक-दूसरे के साथ सहानुभूति रखते हों और एक-दूसरे के हितैषी हों। प्रत्येक मामले में सहयोग की भावना उनके अन्दर पाई जाती हो। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि .ख़ुदा उसपर मेहरबान हो। उसके साथ .ख़ुदा का मामला सख़्ती का न हो। इसलिए जीवन में यही नर्मी और उदारता की नीति उसे भी अपनानी चाहिए।

(2) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "कोई व्यक्ति अपने भाई के सौदे पर सौदा न करे और न कोई अपने भाई के निकाह के पैग़ाम पर अपने निकाह का पैग़ाम भेजे। यह और बात है कि उसे इस बात की अनुमति दे दी जाए।" (हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : मतलब यह है कि किसी से उसका क्रय-विक्रय का मामला हो रहा हो या उसने कहीं निकाह का पैग़ाम भेजा हो तो फिर उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर दोनों पक्ष मामले से अलग हो जाएँ तो इस स्थिति में दूसरा व्यक्ति उससे क्रय-विक्रय का मामला कर सकता है या निकाह का पैग़ाम भेज सकता है।

(3) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "बेचनेवाला और .ख़रीदनेवाला दोनों में से प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे पर उस समय तक अधिकार प्राप्त है (कि चाहे तो क्रय-विक्रय के मामले को बाक़ी रखें और चाहें तो रद्द कर दें) जब तक कि वे एक-दूसरे से अलग न हों, सिवाय इसके कि उनका सौदा 'ख़ियार' की शर्त पर हो।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

व्याख्या : अर्थात् ख़रीदारी में अगर ख़रीदार ने यह शर्त कर ली है कि एक या दो-तीन दिन तक मुझे यह अधिकार रहेगा कि मैं चाहूँगा तो ख़रीदी

हुई चीज़ रखूँगा, अन्यथा वापस कर दूँगा। इस रूप में क्रय-विक्रय में एक-दूसरे से अलग होने के बाद भी मामला रद्द कर देने का अधिकार बाक़ी रहता है। दूसरी स्थिति में यह अधिकार बाक़ी नहीं रहता।

(4) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने एक सौदे में दो सौदे करने से मना किया है।

(हदीस : मालिक, तिरमिज़ी, अबू-दाऊद, नसई)

व्याख्या : एक सौदे में दो सौदे, उदाहरणार्थ कोई व्यक्ति किसी से इस तरह का मामला करे कि मैं अपनी अमुक चीज़ तुम्हारे हाथ दस हज़ार रुपये में बेचता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपनी अमुक चीज़ मेरे हाथ पाँच हज़ार रुपये में बेच दो। सौदे का यह मामला वैध न होगा। प्रत्येक सौदा अलग-अलग होना चाहिए।

(5) हज़रत अम्र-बिन-शुऐब (रह॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "क़र्ज़ और क्रय-विक्रय को एक-दूसरे से सम्बद्ध करना वैध नहीं, और न यह वैध है कि सौदे में दो शर्तें की जाएँ, और न यह दुरुस्त है कि उस चीज़ से लाभ उठाया जाए जो अपने क़ब्ज़े में नहीं आई और न यह वैध है कि उस चीज़ को बेचा जाए जो तुम्हारे पास नहीं है।"

(हदीस : तिरमिज़ी, अबू-दाऊद, नसई)

व्याख्या : यहाँ व्यापार का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त बयान किया गया है जिसका सारांश यह है कि आदमी के लिए उस चीज़ का बेचना वैध है जो उसके पास है और उसी चीज़ से उसे लाभ प्राप्त करने का अधिकार पहुँचता है जो उसके क़ब्ज़े में हो। दूसरी स्थिति में तरह-तरह की ख़राबियों और बुराइयों के पैदा होने की सम्भावनाएँ होती हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता।

(6) हज़रत अबू-सईद ख़ुदरी (रज़ि॰) और हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने एक व्यक्ति को ख़ैबर का अधिकारी नियुक्त किया। वह जनीब खजूरें (एक उत्तम प्रकार की खजूरें) लाया। आप (सल्ल॰) ने कहा, "क्या ख़ैबर की सब खजूरें ऐसी ही हैं?" उसने कहा कि अल्लाह की क़सम, नहीं; ऐ अल्लाह के रसूल! इसे हम दो साअ खजूरें

देकर एक साअ या तीन साअ के बदले दो साअ ख़रीदते हैं। आप (सल्ल०) ने कहा, "ऐसा न करो! बल्कि साधारण खजूरों को सिक्कों के बदले बेच दो और फिर सिक्कों से जनीब खजूरें .खरीद लो।" (हदीस : नसई)

व्याख्या : एक ही वस्तु की अलग-अलग क्वालिटी के बदलने में .खराबी हो सकती थी। इस ख़राबी से बचने का उपाय यह बताया कि खजूर का यह क्रय-विक्रय सिक्कों के द्वारा किया जाए। इस प्रकार हानि की सम्भावना शेष नहीं रहेगी और एक निश्चत अन्तर से यह सौदा हो सकेगा।

साअ एक वज़न का नाम है जो दो किलो से अधिक वज़न का होता है।

(7) हज़रत फ़ज़ाला-बिन-उबैद (रज़ि०) से उल्लिखित है, वे कहते हैं कि मैंने .खैबर के दिन एक हार बारह दीनार में ख़रीदा जिसमें सोना था और नगीना भी। मैंने (.खरीदने के बाद) नगीना अलग किया तो सोना बारह दीनार से अधिक निकला, उसकी चर्चा मैंने नबी (सल्ल०) से की तो आप (सल्ल०) ने कहा, "जब तक सोने को अलग न कर लिया जाए उस समय तक बेचा न जाए।" (हदीस : नसई)

व्याख्या : नबी (सल्ल०) के कथन का मतलब यह है कि आगे से ऐसी स्थिति में सोने को अलग करके बेचा जाए ताकि दोनों पक्षों में से किसी को हानि न उठानी पड़े।

(8) हज़रत उबादा-बिन-सामित (रज़ि०) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कहा, "सोने का सोने के साथ, चाँदी का चाँदी के साथ, गेहूँ का गहूँ के साथ, जौ का जौ के साथ, खजूर का खजूर के साथ, नमक का नमक के साथ विनिमय हो तो यह विनिमय बराबर-बराबर और हाथ के हाथ होना चाहिए और यदि वस्तुएँ भिन्न हों तो फिर अनुमति है जिस तरह चाहो सौदा करो, अलबत्ता लेन-देन का हाथ के हाथ होना आवश्यक है।"

(हदीस : मुस्लिम)

वस्तु यदि भिन्न है तो तौल या नाप में कमी-बेशी वैध है, बशर्ते कि मामला उधार का न हो। उदाहरणार्थ सोने का विनिमय यदि चाँदी के साथ हो तो वज़न में कमी बेशी वैध है। दोनों का वज़न बराबर हो, यह ज़रूरी

नहीं है। इसी प्रकार यदि गेहूँ का विनिमय खजूर के साथ हो तो लेन-देन में दोनों का वज़न बराबर होना ज़रूरी नहीं है।

(10) हज़रत अबू-हुरैरा (राज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "जो व्यक्ति किसी मुसलमान के साथ 'इक़ाला' का मामला कर ले (अर्थात् उसकी बिक्री की हुई या ख़रीदी हुई चीज़ की वापसी पर राज़ी हो जाए) तो अल्लाह क़ियामत के दिन उसकी ग़लती और गुनाह को क्षमा कर देगा।" (हदीस : अबू-दाऊद, इब्ने-माजा)

व्याख्या : लेन-देन पूरा हो जाने के बाद कभी एक पक्ष अपने हित के कारण सौदे को रद्द करना चाहता है। यहाँ नबी (सल्ल॰) प्रेरणा देते हैं कि दूसरा पक्ष यहाँ अपने भाई का ख़्याल करते हुए मामले को रद्द करके उसकी चीज़ उसे वापस कर दे या अपनी चीज़ वापस ले ले तो यह एक बड़ी नेकी है। हदीस में मुसलमान का उल्लेख है, वह केवल इस कारण है कि यह बात मुसलमान समाज में हो रही थी, अन्यथा मुसलमान और ग़ैर-मुसलमान का कोई अन्तर नहीं है। यह निर्देश सबके लिए आम है।

(10) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ि॰) बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) मदीना आए तो उस समय वहाँ के लोग फलों में एक साल, दो साल और तीन साल के लिए 'बैअ सलम' किया करते थे। आप (सल्ल॰) ने कहा, "जो व्यक्ति बैअ सलम करे तो उसे चाहिए कि निश्चित पैमाने, निश्चित वज़न और निश्चित अवधि के साथ बैअ सलम करे।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

व्याख्या : बैअ सलम में ख़रीदी जानेवाली चीज़ की क़ीमत पहले अदा की जाती है, चीज़ बाद में ली जाती है। उदाहरणस्वरूप एक व्यक्ति गेहूँ ख़रीदता है और वह पेशगी रुपये अदा कर देता है और दूसरे पक्ष से यह तय कर लेता है कि इतनी अवधि के पश्चात् अमुक प्रकार का इतना गेहूँ तुमसे ले लूँगा। यह बैअ सलम है। यह बैअ शरीअत की दृष्टि से वैध है शर्त यह है कि इसकी सभी शर्तें स्पष्ट हों और वे पूरी की जाएँ। कोई चीज़ अस्पष्ट या संदिग्ध न रहे ताकि मतभेद की कोई सम्भावना शेष न रहे।

अनियंत्रित अर्थतंत्र की रोकथाम

(1) हज़रत हकीम-बिन-हिज़ाम (रज़ि॰) बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने मुझे इससे रोका कि जो चीज़ मेरे पास मौजूद न हो मैं उसके सौदे का मामला किसी से करूँ। (हदीस : तिरमिज़ी)

व्याख्या : अर्थात् जो चीज़ अपने पास मौजूद न हो और न वह अपने अधिकार में हो उसकी बिक्री सही न होगी। क्योंकि इस प्रकार दोनों पक्षों को दुखद स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सम्भव है वह चीज़ उपलब्ध न हो।

(2) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल॰) के समय में लोग सवारों से अनाज ख़रीदते थे, तो नबी (सल्ल॰) किसी को उनके पास भेजते कि वह उन्हें उस जगह अनाज बेचने से रोके जहाँ उसे ख़रीदा है। यहाँ तक कि अनाज स्थानान्तरित होकर वहाँ पहुँच जाए, जहाँ अनाज बिकता है। (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : आशय यह है कि यदि कोई व्यक्ति चल वस्तुओं में से कोई चीज़ ख़रीदता है तो जब तक वह उस चीज़ को अपने अधिकार में न ले ले उसे बेचना वैध न होगा।

(3) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ि॰) बयान करते हैं कि नबी (सल्ल॰) ने उस अनाज को बेचने से रोका जिसको ख़रीदा है जब तक कि उसको अपने अधिकार में न ले ले। (हदीस : बुख़ारी)

(4) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "तुम सामान लानेवालों से जाकर न मिलो (और उस समय तक उनसे कोई मामला न करो) जब तक वह बाज़ार में पहुँचकर अपना माल न उतारे।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

व्याख्या : मना करने का कारण यह है कि इससे शहरवालों को हानि पहुँचने का भय रहता है। इससे एक बड़ी ख़राबी यह भी पैदा होती है कि सारा अनाज या माल चालाक लोगों के क़ब्ज़े में आ जाता है फिर वे अधिक-से-अधिक मूल्यों पर आम उपभोक्ताओं के हाथों बेचते हैं और अधिक से

अधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। माल अगर बाज़ार में आकर बिके तो वह उचित दर पर बिक सकेगा और आम उपभोक्ता उचित दर पर अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकेंगे।

(5) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "तुम आगे बढ़कर ग़ल्ला आदि लानेवाले क़ाफ़िले से न मिलो। जो जाकर मिला और कुछ सामान ख़रीद लिया फिर माल का मालिक बाज़ार में आया तो उसे अधिकार प्राप्त होगा (कि वह चाहे तो मामले को रद्द कर दे)।" (हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : व्यापारी जो बाहर से माल लाकर बेचता है उसे यह मालूम हो जाए कि ख़रीदार ने स्पष्टतः धोखा दिया है और वास्तविक दर की तुलना में उससे सस्ते दामों पर माल ले लिया है तो इस स्थिति में वह बिक्री को रद्द करके अपना माल वापस ले सकता है।

(6) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "ग़ल्ला आदि लानेवाले क़ाफ़िले से माल ख़रीदने के लिए आगे जाकर न मिलो, और तुममें से कोई व्यक्ति किसी के सौदे पर सौदा न करे और (दिखावे का ख़रीदार बनकर सौदे की) क़ीमत बढ़ाने का काम न करो। और कोई नगरवासी किसी ग्रामीण का माल अपने पास रखकर बेचने का काम न करे। और ऊँटनी और बकरी के थनों में दूध एकत्र न करो। और यदि कोई उसे ख़रीद लेता है तो दूहने के बाद अधिकार है चाहे तो उसे अपने पास रखे चाहे तो वापस कर दे और एक साअ (लगभग 4 किलो) खजूर दे दे।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

व्याख्या : हदीस के निर्देश बहुत स्पष्ट हैं। सभी क्रय-विक्रय सामान्य रूप से किए जाएँ। किसी प्रकार का भ्रम या धोखा नहीं होना चाहिए।

(7) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने एक सौदे में दूसरे सौद के मामले को अवैध ठहराया है।

(हदीस : मालिक, तिरमिज़ी, अबू-दाऊद, नसई)

व्याख्या : अर्थात् हर सौदा अलग-अलग होना चाहिए। सन्दिग्ध मामला

दुखद सिद्ध होता है। इसमें दूसरे का माल अवैध रूप से खाने की सम्भावना भी रहती है।

(8) हज़रत अम्र-बिन-शुऐब अपने पिता से और वे अपने पिता से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "ऋण और सौदा एक-दूसरे से सम्बद्ध करना वैध नहीं। सौदे में दो शर्तें करनी भी वैध नहीं और उस चीज़ से लाभ उठाना भी वैध नहीं जो अभी अपने अधिकार में न आई हो, और उस चीज़ का बेचना वैध नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं है।"

(हदीस : तिरमिज़ी, अबू-दाऊद, नसई)

व्याख्या : क़र्ज़ और क्रय-विक्रय दो अलग-अलग मामले हैं। उनको एक दूसरे के साथ जोड़ना सही न होगा। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति किसी के हाथ कोई चीज़ इस शर्त के साथ बेचता है कि तुम्हें इतने रुपये मुझे कर्ज़ देने होंगे। इसी प्रकार यह भी जायज़ नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी को कुछ रुपये कर्ज़ दे और इसके साथ अपनी कोई चीज़ क़र्ज़दार के हाथ वास्तविक मूल्य से अधिक पर बेचे। क़र्ज़दार यह अधिक मूल्य केवल इसलिए अदा करेगा कि वह बेचनेवाले का क़र्ज़दार है। वास्तव में यह सूदख़ोरों का निकाला हुआ एक बहाना है। इससे बचना ज़रूरी है।

(9) हज़रत मअमर (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "जिस किसी ने (महँगा बेचने के उद्देश्य से) अनाज रोका, वह गुनहगार है।"

(हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : महँगा बेचने के इरादे से किसी ऐसी चीज़ को रोक रखना जिससे मनुष्यों या पशुओं की .खुराक की आवश्यकता पूरी होती हो और बाज़ार में उस चीज़ की कमी पैदा कर देना जमाख़ोरी है। उदाहरणस्वरूप लोगों को ग़ल्ले की तीव्र आवश्यकता हो और कोई व्यक्ति ग़ल्ला ख़रीदकर इस इरादे से अपने पास रोके रखे, कि बाज़ार में इस चीज़ का अभाव हो जाए और वह उसे अपने मनमाने दाम पर बेचेगा, यह जमाख़ोरी है। शरीअत ने इसे हराम ठहराया है। सस्ताई के समय में अगर कोई ग़ल्ला ख़रीदकर रख छोड़ता है या अपनी ज़मीन से पैदा होनेवाले ग़ल्ले को जमा रखता है कि उसे अनुकूल समय

पर बेचेगा जब उसे मुनासिब दाम मिलेंगे तो इसे जमाख़ोरी नहीं कहेंगे।

(10) हज़रत अबू-उमामा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "जिसने अनाज को चालीस दिन तक रोके रखा, फिर वह उसे ख़ैरात भी कर दे तो वह उसके लिए प्रायश्चित नहीं होगा।"

(हदीस : रज़ीन)

व्याख्या : लोग व्याकुल हैं और वह चालीस दिन तक अधिक से अधिक क़ीमत पर बेचने के इरादे से अनाज को रोके रखता है। अनाज न तो बाज़ार में लाता है और न लोगों को उससे खाने की ज़रूरत पूरी करने देता है तो अल्लाह की निगाह में वह इतना बड़ा अपराधी होता है कि यदि वह अपने पूरे अनाज को ख़ुदा की राह में ख़ैरात (दान) भी कर दे तो उससे उसकी क्षतिपूर्त सम्भव नहीं।

(11) वासिला-बिन-असक़ा (रज़ि॰) बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को यह कहते हुए सुना कि "जो व्यक्ति किसी त्रुटिपूर्ण चीज़ को बेचे और उसकी त्रुटि से ख़रीदार को अवगत न कराए तो वह सदैव अल्लाह के प्रकोप में रहता है।" या आपने यह कहा, "फ़रिश्ते उसपर हमेशा लानत भेजते रहते हैं।" (हदीस : इब्ने-माजा)

व्याख्या : ऐबदार चीज़ देकर ख़रीदार को उसने घाटे में डाल दिया। इसलिए वह भी स्थायी रूप से ईश्वरीय प्रकोप का पात्र हो गया या वह इसका पात्र हो गया कि ख़ुदा के फ़रिश्ते अनवरत उसपर लानत भेजते रहें।

(12) हज़रत जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को यह कहते हुए सुना जब कि आप (सल्ल॰) मक्का में थे कि "निस्सन्देह अल्लाह और उसके रसूल ने शराब, मुर्दार, सूअर और बुतों के क्रय-विक्रय को अवैध ठहराया है। (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : इस हदीस से मालूम हुआ कि हराम और गन्दी अपवित्र चीज़ों का व्यापार वैध नहीं है। ऐसी चीज़ें जो व्यक्ति और समाज के लिए घातक हों उनको आय का साधन बनाना उचित नहीं है!

साझा व्यापार

(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) नबी (सल्ल॰) के वास्ते से रिवायत करते हैं कि प्रतापवान अल्लाह कहता है, "मैं दो साझेदारों के मध्य तीसरा हूँ जब तक उनमें से कोई अपने दूसरे साझेदार के साथ विश्वासघात नहीं करता। और जब वह विश्वासघात करता है तो मैं उनके बीच से हट जाता हूँ।"

(हदीस : अबू-दाऊद)

व्याख्या : रज़ीन (रह॰) ने इस रिवायत के अन्त में ये शब्द भी उल्लिखित किए है, "और फिर शैतान उनके बीच आ जाता है।"

इस हदीस से व्यापार में साझेदारी के वैध होने का प्रमाण मिलता है। साझेदारी के कारण कारोबार में उन्नति की सम्भावनाएँ पैदा होती हैं। लेकिन शर्त यह है कि साझेदार परस्पर एक-दूसरे के साथ विश्वासघात और बेईमानी से काम न लें। जब तक साझेदार ईमानदारी और अमानतदारी पर क़ायम रहते हैं, अल्लाह का साथ उन्हें प्राप्त रहता है। अल्लाह उनके कारोबार में बरकत देता है और कारोबार को नुक़सान से बचाता है। लेकिन जब साझेदार बेईमानी से काम लेने लगते हैं तो फिर अल्लाह की जगह शैतान बीच में आ जाता है और वह अपना अधिकार जमा लेता है, जिसका परिणाम विनाश और बरबादी के सिवाय कुछ नहीं हो सकता।

वकालत (प्रतिनिधि बनाना)

(1) हज़रत हकीम-बिन-हिज़ाम (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने उन्हें एक दीनार देकर भेजा कि वे आप (सल्ल॰) के लिए क़ुरबानी का जानवर ख़रीद लाएँ। अतएव उन्होंने उससे एक मेंढा (या दुंबा) ख़रीदा और उसे दो दीनार में बेच दिया। फिर वे लौटे और क़ुरबानी का जानवर उन्होंने एक दीनार में ख़रीद लिया और आकर आप (सल्ल॰) की सेवा में क़ुरबानी के जानवर के साथ वह दीनार भी पेश कर दिया जो दूसरा जानवर (अर्थात् पहला ख़रीदा हुआ जानवर) बेचकर बचाया था। आप (सल्ल॰) ने वह दीनार सदक़ा कर दिया और हकीम-बिन-हिज़ाम (रज़ि॰) के लिए दुआ की कि अल्लाह उनके व्यापार में बरकत दे। (हदीस : तिरमिज़ी, अबू-दाऊद)

व्याख्या : हज़रत हकीम-बिन-हिज़ाम (रज़ि॰) ने क्रय-विक्रय का मामला नबी (सल्ल॰) की ओर से अर्थात् आपके वकील की हैसियत से किया था। इससे मालूम हुआ कि शरीअत में वकालत का विधान है। वकालत का मतलब है अपने अधिकारों और माल के लेन-देन में किसी को अपना प्रतिनिधि बनाना। जो मामला या काम आदमी ख़ुद कर सकता है, जिसमें उसके लिए कोई बुराई न हो, उसमें वह किसी दूसरे को अपना वकील भी बना सकता है।

(2) हज़रत जाबिर (रज़ि॰) बयान करते हैं कि मैंने ख़ैबर जाने का इरादा किया तो नबी (सल्ल॰) की सेवा में उपस्थित हुआ। मैंने आप (सल्ल॰) को सलाम किया और कहा कि मैंने ख़ैबर जाने का इरादा किया है। आप (सल्ल॰) ने कहा, "जब तुम वहाँ मेरे वकील से मिलो तो पन्द्रह वस्क़ ख़जूर उससे ले लेना। अगर वह तुमसे कोई निशानी माँगे तो अपना हाथ उसके हँस (कण्ठ) पर रख देना।" (हदीस : अबू-दाऊद)

व्याख्या : इस हदीस से मालूम हुआ कि कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर अपना वकील नियुक्त कर सकता है।

जिस व्यक्ति को नबी (सल्ल॰) ने ख़ैबर में अपना वकील नियुक्त किया था, उसे आप (सल्ल॰) ने यह हिदायत दे रखी होगी कि यदि कोई व्यक्ति मेरी ओर से तुमसे कुछ माँगे तो उससे उसका प्रमाण माँगना कि वह वास्तव में मेरा भेजा हुआ है। यदि वह प्रमाणस्वरूप अपना हाथ हँस (कण्ठ) पर रख दे तो समझ लेना कि वह मेरा भेजा हुआ है। आप (सल्ल॰) ने हज़रत जाबिर (रज़ि॰) को निशानी बता दी, ताकि वकील उनको 15 वस्क़ (27 क्विंटल) खजूरें दे दे।

नीलाम की विधि से क्रय-विक्रय

(1) हज़रत अनस (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने (बिछाने का) एक टाट और एक प्याला इस तरह बेचा कि अपने कहा, "यह टाट और प्याला कौन ख़रीदेगा?" एक व्यक्ति ने कहा कि मैं ये दोनों चीज़ें एक दिरहम में ले सकता हूँ। आप (सल्ल॰) ने कहा, "कौन एक दिरहम से ज़्यादा दे सकता है?" एक व्यक्ति ने दो दिरहम आपको पेश कर दिए तो आप (सल्ल॰) ने दोनों चीज़ें उसके हाथ बेच दीं। (हदीस : तिरमिज़ी, अबू-दाऊद, इब्ने-माजा)

व्याख्या : इससे मालूम हुआ कि नीलाम के तरीक़े पर भी क्रय-विक्रय कर सकते हैं। नीलाम की जिस घटना का उल्लेख इस हदीस में किया गया है उसका विवरण हदीस की पुस्तक 'सुनन अबू-दाऊद' और 'सुनन इब्ने-माजा' में मिलता है। एक निर्धन अनसारी ने नबी (सल्ल॰) की सेवा में उपस्थित होकर आपसे सहायता की याचना की। आप (सल्ल॰) ने उनसे पूछा कि तुम्हारे घर में कुछ सामान है? उन्होंने बताया कि एक टाट और एक प्याला है। आप (सल्ल॰) के आदेश से उन्होंने ये दोनों ही चीज़ें सेवा में उपस्थित कर दीं। आप (सल्ल॰) ने उनको नीलाम कर दिया। नीलाम करते समय आप (सल्ल॰) ने "कौन इससे अधिक क़ीमत देगा?" दो-तीन बार कहा तो एक व्यक्ति ने दो दिरहम आप (सल्ल॰) को दिए। आप (सल्ल॰) ने अनसारी सहाबी से कहा कि एक दिरहम से तो खाने-पीने का कुछ सामान घरवालों को दे दो और दूसरे दिरहम से एक कुल्हाड़ी ख़रीदकर ले आओ। जब वह कुल्हाड़ी लेकर आए तो नबी ने अपने मुबारक हाथ से उसमें लकड़ी का दस्ता लगाया और कहा कि यह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाओ और लकड़ियाँ लाकर बेचो। पन्द्रह दिन से पहले मेरे पास न आना। उन्होंने ऐसा ही किया। यहाँ तक कि उस कमाई के परिणामस्वरूप उनके पास दस दिरहम जमा हो गए। उन्होंने अपने घरवालों के लिए खाने-पीने का सामान और कुछ कपड़ा आदि ख़रीदा। इसके बाद नबी (सल्ल॰) की सेवा में उपस्थित हुए। आप (सल्ल॰) ने कहा कि यह मेहनत करके गुज़ारा करना तुम्हारे लिए इससे बेहतर है कि लोगों के सामने माँगने के लिए हाथ फैलाते फिरो और क़ियामत में तुम्हारे चेहरे पर इसका दाग़ और निशान हो।

कृषि

(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "जो कोई मोमिन व्यक्ति पेड़ या पौधा लगाए या खेती करे, फिर उसमें पक्षी खाए या इनसान या कोई जानवर खाए तो यह उस व्यक्ति के लिए अनिवार्यतः सदक़ा (दान) होगा।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

व्याख्या : अर्थात् खेती करने और पेड़ लगाने से न केवल यह कि आदमी खेती की पैदावार और पेड़ों के फलों से लाभ उठाता और अपनी भोजन सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी करता है, बल्कि वह अपनी पैदावार का कुछ अंश भलाई

के काम में ख़र्च करके नेकियाँ भी कमा सकता है। यही नहीं, बल्कि चरनेवाले जानवर, पक्षी और इनसान उसकी पैदावार और फलों में से कुछ खा लेते हैं उसका भी अल्लाह के यहाँ उसे बदला और पुण्य मिलेगा।

(2) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि०) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने ख़ैबर की भूमि वहाँ के यहूदियों ही को सौंप दी कि वे उसमें काम करें और उसमें खेती करें। जो कुछ उसमें पैदा होगा उसका आधा हिस्सा उनका होगा। (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : सहीह मुस्लिम की रिवायत में इसका स्पष्टीकरण भी मिलता है कि खेती करने योग्य भूमि के अलावा ख़ैबर के उद्यान भी अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने वहाँ के यहूदियों को इस शर्त पर सौंप दिए थे कि पैदावार के आधे हिस्से के वे अधिकारी होंगे। मानो यह मामला बटाई का हुआ।

(3) हज़रत अम्र (-बिन-दीनार ताबिई) बयान करते हैं कि मैंने ताऊस (ताबिई) से कहा कि आप बटाई पर ज़मीन उठाना छोड़ देते तो अच्छा होता, क्योंकि लोगों का ख़याल है कि नबी (सल्ल०) ने इससे रोका है। उन्होंने कहा कि ऐ अम्र! मैं लोगों को खेती के लिए ज़मीन भी देता हूँ और इसके अतिरिक्त भी उनकी सहायता करता हूँ। मुझे लोगों में सबसे बड़े आलिम (विद्वान) अर्थात् अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास (रज़ि०) ने बताया था कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने इससे (ज़मीन को बटाई या लगान पर उठाने से) रोका नहीं था। अलबत्ता यह कहा था कि "तुममें से कोई अपनी भूमि अपने भाई को खेती के लिए (बिना बदले के) दे दे तो यह उसके लिए इससे बेहतर है कि वह उसपर कोई निश्चित लगान वुसूल करे।" (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : ऐसा प्रतीत होता है कि उस ज़माने में कुछ लोग यह विचार रखते थे कि अपनी ज़मीन को बटाई पर देना वैध नहीं है। किन्तु यह रिवायत बताती है कि नबी (सल्ल०) ने इसे अवैध नहीं ठहराया बल्कि आपका आशय यह था कि अपने किसी भाई को यदि बिना किसी बदले के ज़मीन दे दी जाए तो अच्छा है। हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ि०) के बयान और स्पष्टीकरण की रौशनी में हज़रत ताऊस (रह०) अपनी ज़मीन बटाई पर उठाते थे और खेती के ख़र्चों में वे किसानों की सहायता भी कर दिया करते थे।

फलों का क्रय-विक्रय

(1) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फलों के सौदे से रोका है, जब तक कि वे तैयार न हो जाएँ। आप (सल्ल॰) ने बेचनेवाले को भी रोका और ख़रीदार को भी।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

अरब में जहाँ कहीं खजूर, अंगूर आदि के फलों की पैदावार होती थी, वहाँ के लोग फल तैयार होने से पहले ही, जबकि वे पेड़ ही पर होते, बेच डालते। इसी प्रकार खेत में अनाज भी तैयारी से पहले बेच दिया जाता था। नबी (सल्ल॰) ने इससे रोका, क्योंकि इस तरह बेचने में इस बात का भय रहता है कि खेती या फलों की फ़स्ल पर अचानक कोई आफ़त आ जाए, उदाहरणार्थ आँधी या ओला पड़ने से फल या अनाज नष्ट हो जाए या उनको कोई रोग आदि लग जाए तो ख़रीदार को भारी क्षति उठानी पड़ेगी। इस स्थिति में क़ीमत के अदा करने में विवाद उत्पन्न हो सकता है। नबी (सल्ल॰) ने बिगाड़ों और ख़तरों के आधार पर इस प्रकार के सौदे को रोक दिया।

(2) हज़रत अनस (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फलों की बिक्री से रोका जब तक कि उनपर रौनक़ न आ जाए। कहा गया कि रौनक़ आ जाने से अभिप्राय क्या है? कहा, "मतलब यह है कि वह पक जाए।" फिर आपने कहा, "बताओ, यदि अल्लाह फल न दे (अर्थात् किसी कारण से फल तैयार होने से पहले ही नष्ट हो जाएँ) तो तुममें से कोई किस चीज़ के बदले में अपने भाई से माल वुसूल करेगा?" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

व्याख्या : मतलब यह है कि अगर फलों को ऐसी क्षति पहुँचती है कि ख़रीदार कुछ न पा सका तो फिर तुम उससे किस चीज़ की क़ीमत वुसूल करोगे? इसलिए बाग़ को उस समय बेचना चाहिए जब फल तैयार हो जाएँ और क्षति पहुँचने की आशंका बाक़ी न रहे।

(3) हज़रत जाबिर (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने (बाग़ों को) कुछ वर्षों के लिए बेचने से रोका और आप (सल्ल॰) ने आकस्मिक आपदा (से पहुँचनेवाली हानि) में छूट देने का आदेश दिया। (हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : अर्थात् कुछ वर्षों के लिए बाग़ की फ़स्ल का ठेका देना अवैध होगा। किसको मालूम कि इन कुछ वर्षों में फलों की फ़स्ल कैसी रहेगी। इस आशंका से कौन इनकार कर सकता है कि इस अवधि में फ़स्ल पर कोई आकस्मिक आपदा भी आ सकती है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि ख़रीदार को भारी हानि का सामना करना पड़ेगा और क़ीमत के अदा करने में कठिनाई पेश आ सकती है जिसके कारण मामला विवाद का रूप धारण कर सकता है। इसलिए इस प्रकार के सौदों से बचना चाहिए तथा हानि की दशा में छूट देनी चाहिए।

बंजर भूमि को आबाद करना

(1) हज़रत सईद-बिन-ज़ैद से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा "जो व्यक्ति बंजर भूमि को ज़िन्दा करे वह उसी की है और ज़ालिम की रग का कोई हक़ नहीं है।" (हदीस : अहमद, तिरमिज़ी, अबू-दाऊद, मालिक)

व्याख्या : बुख़ारी की एक रिवायत में है, "जो व्यक्ति ऐसी ज़मीन को आबाद करता है जो किसी की मिल्कियत में नहीं है वह उसका अधिक हक़दार है।" मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मेहनत और श्रम से किसी बंजर ज़मीन को खेती के योग्य बनाता है तो वह भूमि उस व्यक्ति की हो जाएगी, शर्त यह है कि वह पहले से किसी की मिल्कियत में न हो और जनसामान्य का कोई हित और ज़रूरत उससे सम्बद्ध न हो।

यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की आबाद की हुई भूमि में पेड़ लगाए या खेती करे तो इससे वह उस ज़मीन का मालिक नहीं बन जाएगा।

(2) हज़रत हसन (बसरी) हज़रत समुरा (रज़ि॰) से और वे नबी (सल्ल॰) से रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल॰) ने कहा, "जो व्यक्ति किसी ग़ैर-आबाद ज़मीन पर दीवार खड़ी करके उसे घेर ले, उस ज़मीन का वही मालिक है।"

(हदीस : अबू-दाऊद)

व्याख्या : ग़ैर-आबाद ज़मीन को अपनी मिल्कियत में लेने के लिए आवश्यक है कि उसे जीवित अर्थात् आबाद किया जाए। आबाद करने का आशय यह है कि उसमें खेती की जाए या पेड़ लगाया जाए। पानी के लिए कुएँ खोदे

जाएँ। इस हदीस में है कि अगर किसी व्यक्ति ने ग़ैर-आबाद ज़मीन पर दीवार खींच दी तो वह ज़मीन उसकी हो जाएगी। उसका हक़ दूसरों से बढ़कर होगा। दीवार खींचने का अधिक सम्भावित अर्थ यह है कि यह दीवार रहने के लिए खींची गई हो।

सार्वजनिक संसाधन

(1) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "तीन चीज़ें अर्थात् पानी, घास और आग ऐसी हैं जिनमें सारे ही मुसलमान भागीदार हैं।" (हदीस : अबू-दाऊद, इब्ने-माजा)

व्याख्या : कुछ चीज़ें अल्लाह ने ऐसी पैदा की हैं जिनको जनता के लिए रखा है। उदाहरणार्थ हवा, प्रकाश, पानी आदि। इस हदीस में जिन तीन नेमतों का ज़िक्र किया गया है, उससे हर व्यक्ति को लाभ उठाने का हक़ पहुँचता है। उनमें कोई चीज़ किसी की व्यक्तिगत मिल्कियत नहीं और न उनमें किसी को कोई विशिष्टता प्राप्त है। चूँकि मुसलमान समाज में बात की जा रही है, इसलिए मुसलमान का उल्लेख किया गया है। वरना सभी लोग धर्म का अन्तर किए बिना इन चीज़ों में भागीदार होंगे।

(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "अपनी आवश्यकता से अधिक पानी को न बेचा जाए कि उसके द्वारा घास बेची जाए।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

व्याख्या : पानी के आस-पास साधारणतया घास पाई जाती है। लोगों के जानवर उसमें चरेंगे और घास चरने के बाद वे पानी भी अनिवार्यतः पिएँगे। अब यदि पानी का मालिक क़ीमत लिए बिना पानी पीने नहीं देता तो जिन लोगों के जानवर घास चरेंगे वे पानी ख़रीदने पर मजबूर होंगे। इस प्रकार पानी की क़ीमत लेनी वास्तव में घास की क़ीमत लेनी हुई, जो वैध नहीं है।

खनिज पदार्थ

(1) हज़रत अबयज़-बिन-हम्माल मारिबी (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) की सेवा में उपस्थित होकर नमक की वह खान (खदान) माँगी जो मारिब में थी। आप (सल्ल॰) ने वह खान उन्हें जागीर

में दे दी। जब वे (अबयज़) वापस हुए तो एक व्यक्ति अक़रा-बिन-हाबिस तमीमी (रज़ि॰) ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! आपने तो उनको बिलकुल तैयार माल दे दिया है। उल्लेखकर्ता का बयान है कि फिर आप (सल्ल॰) ने वह खान उनसे वापस ले ली। उल्लेखकर्ता का बयान है कि उस व्यक्ति (हज़रत अक़रा) ने आप (सल्ल॰) से पूछा कि पीलू के पेड़ों की कौन-सी ज़मीन घेरी जाए। आप (सल्ल॰) ने कहा, "वह ज़मीन जहाँ ऊटों के पाँव न पहुँचें।"

(हदीस : तिरमिज़ी, इब्ने-माजा, दारमी)

व्याख्या : नबी (सल्ल॰) ने समझा था कि वह खान आरम्भिक स्थिति में है जिससे अधिक परिश्रम के बाद ही लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन जब आप (सल्ल॰) को मालूम हुआ कि वह खान आरम्भिक स्थिति में नहीं है, बल्कि उसमें नमक बिलकुल तैयार हालत में मौजूद है तो आप (सल्ल॰) ने वह खान हज़रत अबयज़ से वापस ले ली, क्योंकि इस स्थिति में उस खान पर सभी लोगों का हक़ होता था। उसे किसी एक व्यक्ति की मिल्कियत में दे देना उचित न था। इसलिए आपने समस्त लोगों के अधिकारों और हितों को सामने रखते हुए उस खान को अकेले हज़रत अबयज़ (रज़ि॰) की मिल्कियत में रहने नहीं दिया।

"जहाँ ऊँटों के पाँव न पहुँचें" अर्थात् ऐसी भूमि जो चरागाह से अलग हो, इससे मालूम हुआ कि ऐसी पड़ी हुई भूमि को आबाद करना जाइज़ नहीं है जो जानवरों के चराने के काम आती हो या इस प्रकार की दूसरी आवश्यकताओं के लिए जिसे सार्वजनिक रूप से बस्ती के लोग इस्तेमाल करते हों।

ग़स्ब (अनाधिकार क़ब्ज़ा)

(1) हज़रत अबू-उमामा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "जिस किसी ने अपनी क़सम (झूठी क़सम) के द्वारा किसी मुसलमान व्यक्ति का हक़ छीन लिया, अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम की आग अनिवार्य कर दी और जन्नत उसपर हराम कर दी।" (यह सुनकर) एक व्यक्ति ने कहा कि यद्यपि वह कोई साधारण चीज़ हो? आप (सल्ल॰) ने कहा, "यद्यपि वह पीलू के पेड़ का एक टुकड़ा (दातुन) ही क्यों न हो।"

(हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : अर्थात् ऐसा व्यक्ति जिसे किसी व्यक्ति के माल के हड़प करने में तनिक भी संकोच न हो और जब इसके लिए झूठी क़सम भी खाए, वह .ख़ुदा की रहमत से दूर और उसके प्रकोप का ही पात्र होता है। वह जिस आचरण का प्रदर्शन कर रहा है वह इसका स्पष्ट प्रमाण है कि उसकी निगाह में अमानत और ईमानदारी का कोई विशेष महत्व नहीं है। फिर ऐसे व्यक्ति को तो अल्लाह के अज़ाब ही की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क़ुरआन का स्पष्ट आदेश है, "एक-दूसरे के माल ग़लत तरीक़े से न खाओ।" (क़ुरआन, 2:188; 4:29)

ब्याज

(1) हज़रत जाबिर (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने ब्याज लेने और खानेवाले पर, ब्याज खिलानेवाले और देनेवाले पर, ब्याज सम्बन्धी दस्तावेज़ लिखनेवाले पर और उसके गवाहों पर लानत की है और कहा है, "वे सब गुनाह में बराबर शरीक हैं।" (हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : इस हदीस से ब्याज के बुरा होने और उसकी अवैधता में किसी प्रकार का सन्देह शेष नहीं रहता। ब्याज का कारोबार करनेवाला और इसमें उसके साथ सहयोग करनेवाले सभी लानत और अभिशाप के पात्र और अल्लाह की दयालुता से दूर होते हैं। क़ुरआन में भी कहा गया है : "अल्लाह ने व्यापार को वैध और ब्याज को अवैध ठहराया है।" (क़ुरआन, 2:275)

इस्लाम की मूल शिक्षा यह है कि सम्पूर्ण मानव-जाति एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति रखनेवाले और एक-दूसरे के शुभ चिन्तक हों। ज़रूरतमन्दों और मुहताजों के साथ उनका व्यवहार सहानुभूति और करुणा का हो। दरिद्रों, अनाथों और असहाय लोगों का .ख़याल रखने को इस्लाम ने अनिवार्य किया है। इसी लिए सदक़ा, ख़ैरात और अल्लाह के मार्ग में दान आदि के महत्त्व और उत्तमता का सविस्तार वर्णन किया गया है। ब्याज खाना वास्तव में उस क़ौम का तरीक़ा कदापि नहीं हो सकता जो सदक़ा और दान को अल्लाह की प्रसन्नता का साधन समझती हो और जो अपने व्यक्तित्व के निर्माण और अपनी आत्मा के विकास के लिए इनफ़ाक़ (अर्थात् नेक कामों में अपना माल .ख़र्च करने) को अनिवार्य ठहराती हो।

(2) हज़रत अनस (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "जब तुममें से कोई व्यक्ति किसी को क़र्ज़ दे तो यदि वह क़र्ज़दार व्यक्ति उसे कोई उपहार दे या उसे सवारी के लिए अपना जानवर पेश करे तो न वह उसपर सवार हो और न उस उपहार को स्वीकार करे सिवाय इसके कि उन दोनों के बीच पहले से इस प्रकार का मामला होता रहा हो।"

(हदीस : इब्ने-माजा, बैहक़ी : शोबुल-ईमान)

व्याख्या : एक दूसरी रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "जिसने किसी के लिए सिफ़ारिश की फिर (सिफ़ारिश करानेवाले ने) उसे उपहार दिया और उसने उसे स्वीकार कर लिया तो निश्चय ही वह ब्याज के दरवाज़ों में से एक बड़े दरवाज़े में प्रवेश कर गया।" (हदीस : अबू-दाऊद, अबू-उमामा से)

इन रिवायतों से अच्छी तरह स्पष्ट होता है कि इस्लाम ने ब्याज को हराम ही नहीं किया है बल्कि उसके खुले-छुपे दरवाज़ों को भी बन्द कर देना चाहा है। ऋण देकर उससे लाभ प्राप्त करना ब्याज है, इसी लिए उस व्यक्ति की सवारी इस्तेमाल करने और उसका उपहार लेने से रोका गया, जिसके ज़िम्मे अपना ऋण हो। किसी की सिफ़ारिश करके उसके उपहार को स्वीकार करने का मतलब यह होता है कि हमने उस नेकी का बदला ले लिया जो निस्वार्थ होनी चाहिए थी। ब्याज में भी यही होता है। ऋण देनेवाला उस नेकी (ज़रूरतमन्द को ऋण देने की नेकी) पर लाभ प्राप्त करता है जो नेकी उसे बिना किसी बदले के करनी चाहिए थी। अपने भाई की सहायता करना और उसे परेशानियों से बचा लेना यह तो हमारा कर्तव्य और भाई का हमपर हक़ होता है।

(3) हज़रत इब्ने-मसऊद (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "ब्याज (से प्राप्त धन) चाहे कितना ही अधिक हो जाए मगर उसका परिणाम अभाव और कमी है।"

(हदीस : मुसनद, अहमद, इब्ने-माजा, बैहक़ी : शोबुल-ईमान)

व्याख्या : ब्याज से प्रकट रूप में कितना ही लाभ ब्याज खानेवाला प्राप्त करता हो लेकिन इसका परिणाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। क़ुरआन में भी कहा गया है : "अल्लाह ब्याज को घटाता और मिटाता है तथा सदक़ों (Charity)

को बढ़ाता है," (क़ुरआन 2:276)। बरकतों और भलाई व कल्याण का सम्बन्ध सदक़ों से ही है, ब्याज से नहीं। सदक़ा करनेवालों के हिस्से में अल्लाह की प्रसन्नता और आख़िरत का सवाब आता है। ब्याज खानेवालों की नियति अल्लाह का प्रकोप है। ब्याज की अनिष्टता बहुधा संसार में भी प्रकट होती है। बड़े-बड़े पूँजीपतियों को दिवालिया होते देखा गया है। ब्याज खानेवालों को आदर नहीं मिलता। मानवीय प्रतिष्ठा और आदर से वंचित होना उनका भाग्य बन जाता है। समाज में उनकी हैसियत हिंसक पशुओं से भिन्न नहीं होती।

आज की आर्थिक व्यवस्था जो ब्याज पर आधारित है, इसके दुष्परिणाम आपके सामने हैं। यह व्यवस्था किसी विशिष्ट देश और जाति ही के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक यातना सिद्ध हो रही है। कितने देश और जातियाँ ब्याज की अनिष्टता के कारण आर्थिक तबाही का शिकार नज़र आती हैं। कितने ही देश हैं जिनकी राजनीतिक और राष्ट्रीय नीतियों तक पर ब्याज खानेवाले देश या वर्ग बुरी तरह से प्रभावी हो रहे हैं।

(4) हज़रत समुरा-बिन-जुन्दुब (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल ने कहा, "रात मैंने देखा कि दो व्यक्ति मेरे पास आए और वे मुझे एक पवित्र भूभाग की ओर ले गए। फिर वहाँ से हम आगे को चले यहाँ तक कि रक्त की एक नदी पर पहुँचे। उसमें एक व्यक्ति खड़ा था और उस नदी के किनारे एक दूसरा व्यक्ति मौजूद था जिसके सामने बहुत-से पत्थर पड़े हुए थे। नदी में जो व्यक्ति था वह आगे आया लेकिन जब उसने निकलने का इरादा किया तो किनारे पर खड़े व्यक्ति ने उसके मुँह पर पत्थर मारकर उसे वहीं लौटा दिया जहाँ से वह चला था। हर बार जब वह निकलने की कोशिश करता, यह उसके मुँह पर पत्थर मारता और वह अपनी पहली हालत पर लौटने पर विवश हो जाता। मैंने पूछा कि यह कौन है जिसे मैं (ख़ून की) नदी में देख रहा हूँ? उन दोनों में से एक ने कहा कि यह (दुनिया में) ब्याज खाता था।"

(हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : यह एक लम्बी हदीस का एक अंश है। नबी (सल्ल॰) को स्वप्न में बरज़ख़-लोक का दर्शन कराया गया। आप (सल्ल॰) को दिखाया गया

कि लोगों को उनके अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलकर रहेगा। मनुष्य के कर्मों के प्रभाव यूँ तो सांसारिक जीवन में ही सामने आने लगते हैं। बरज़ख़-लोक और परलोक में तो मनुष्य अपने अच्छे-बुरे आमाल (कर्मों) के परिणामों को स्पष्ट देखेगा जिसमें सन्देह की कोई गुंजाइश न होगी।

रिश्वत

(1) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने रिश्वत लेनेवाले और रिश्वत देनेवाले दोनों पर लानत की है। (हदीस : अबू-दाऊद, इब्ने-माजा)

व्याख्या : रिश्वत वह माल है जो किसी हाकिम आदि को इस उद्देश्य से दिया जाए कि वह जो नाहक़ है उसे हक़ कर दे या जो हक़ है उसे नाहक़ कर दे। अर्थात् उसे माल या रक़म देकर उससे अपने पक्ष में ग़लत फ़ैसला करा ले। स्पष्ट है कि इस प्रकार की हरकत ईमानदारी और सत्य-प्रियता के बिलकुल विपरीत है।

अलबत्ता कुछ परिस्थितियों में आदमी को अपना जाइज़ हक़ प्राप्त करने के लिए कुछ ख़र्च करना पड़ जाता है। यह वह रिश्वत नहीं है जिसके देनेवाले पर नबी (सल्ल॰) ने लानत की है।

जुआ

(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा, "जो व्यक्ति अपने साथी और दोस्त से यह कहे कि आओ हम दोनों जुआ खेलें तो उसे चाहिए कि वह सदक़ा (दान) दे।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

व्याख्या : मतलब यह है कि उसने ऐसे गुनाह की ओर बुलाया जो कोई साधारण गुनाह नहीं है। इसलिए उसे तुरन्त अपने गुनाह से तौबा करनी चाहिए और कफ़्फ़ारा (प्रायश्चित) के तौर पर अपने माल से कुछ सदक़ा भी देना चाहिए। माल की चाहत और आकर्षण ही वास्तव में इस बुरे कर्म का प्रेरक होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आदमी अपने दिल से माल की मुहब्बत को निकाले और सदक़ा दे।

जुए के लिए आमंत्रित करने पर कफ़्फ़ारा अदा करना ज़रूरी है। तो जो व्यक्ति वास्तव में जुआ खेलता और खिलवाता है वह कितने बड़े गुनाह का काम करता है, उसका अनुमान हर व्यक्ति अच्छी तरह कर सकता है। इस्लामी दृष्टिकोण से वे समस्त कारोबार अवैध ठहरेंगे जिनमें जुआ सम्मिलित होता है, जैसे लाटरी, सट्टेबाज़ी, रेस और बाज़ी लगाना आदि। इस्लाम किसी ऐसे काम को वैध नहीं समझता जिसमें दोनों पक्षों में से किसी पक्ष के लिए घाटे में पड़ना अनिवार्य होता है। इन बुराइयों में पड़ने से कितने ही लोग तबाह होकर रह जाते हैं, इससे सभी परिचित हैं। यही कारण है कि जुआ आदि को हमेशा बुरा समझा गया है।

शराब का क्रय-विक्रय

(1) हज़रत जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ि०) से उल्लिखित है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्ल०) को मक्का-विजय के वर्ष जबकि आप मक्का में ही मौजूद थे यह कहते हुए सुना कि "अल्लाह और उसके रसूल ने शराब, मुरदार, सूअर और बुतों के क्रय-विक्रय को अवैध ठहरा दिया है।" (हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : शराब, मुरदार और सूअर इनसान के लिए अत्यन्त हानिकारक हैं। शराब का नशा भी अद्भुत होता है। शराबी के लिए मदिरापान एक ज़रूरत बन जाता है जिसके बिना वह रह नहीं सकता। शराब पीने से शराबी को जो सुरूर मिलता है वह क्षणिक होता है। शराब के इस क्षणिक आनन्द के लिए आदमी को जो क़ीमत चुकानी पड़ती है वह कोई साधारण क़ीमत नहीं होती। रुपये-पैसे की बरबादी के अलावा स्वास्थ्य पर इसके अत्यन्त बुरे प्रभाव पड़ते हैं। शराब पीने से पाचन, रुधिर संचार, स्नायुतंत्र आदि सभी पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। फिर अधिक मात्रा में शराब पीने पर आदमी होश में भी नहीं रहता। बेहोशी और नशे की हालत में लोगों ने जो अश्लील हरकतें की हैं उनसे कौन अपरिचित हो सकता है। जो व्यक्ति नशे में चूर है उसमें और एक पागल में कुछ ज़्यादा अन्तर शेष नहीं रहता। होश और चेतना इनसान के लिए बड़ी नेमत है। वही सुरूर और स्वाद काम का है जो होश के घटने से नहीं बल्कि उसके बढ़ने से प्राप्त होता है। अत्यन्त प्रसन्नता और आत्मिक आनन्द की स्थिति में भी एक तल्लीनता तो होती है लेकिन उसमें और नशे की बेहोशी में

धरती और आकाश का अन्तर पाया जाता है।

मुरदार जानवर का मांस भी मानव-स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि मनुष्य के स्वभाव और रुचि पर भी उसके अत्यन्त बुरे प्रभाव पड़ते हैं। यही हाल सूअर के मांस का भी है। सूअर एक गन्दा जानवर है। उसका स्वभाव भी अत्यन्त घिनौना होता है।

जो चीज़ें हराम और इनसान के लिए हानिकारक हैं उनके व्यापार की अनुमति भी इस्लाम कैसे दे सकता है।

(2) हज़रत जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "जिसकी अधिक मात्रा नशा लाती हो, उसकी थोड़ी मात्रा भी अवैध है।" (हदीस : अबू-दाऊद)

व्याख्या : शराब पीनेवाला यह बहाना नहीं कर सकता कि वह तो मात्रा में बस इतनी ही शराब पीता है जिससे नशा न हो। किन्तु हमेशा अपने आपपर उसे नियंत्रण प्राप्त रहेगा इसकी कोई ज़मानत नहीं ले सकता। ऐसी बुरी चीज़ से दूर ही रहना चाहिए। जो चीज़ बुरी हो, आदमी को उसके निकट भी नहीं जाना चाहिए।

(3) हज़रत वायल-बिन-हुज्र (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "शराब दवा नहीं है बल्कि वह तो स्वयं रोग है।"

(हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : अर्थात् रोग से रोग को दूर करने की कोशिश निरर्थक है।

(4) हज़रत दैलम हमीरी (रज़ि॰) बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) से प्रश्न करते हुए कहा कि हम ठण्डे इलाक़े में रहते हैं और उसमें अत्यन्त परिश्रम का काम करते हैं और हम अपनी शक्ति प्राप्त करने और सर्दी, जो हमारे नगरों में पड़ती है, को दूर करने के उद्देश्य से इस प्रकार की गेहूँ की शराब बना लेते हैं। आप (सल्ल॰) ने कहा, "क्या वह नशा लाती है?" मैंने कहा कि हाँ। आप (सल्ल॰) ने कहा, "उससे बचो।"

(हदीस : अबू-दाऊद)

व्याख्या : शराब और मदिरा से कुछ लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं, किन्तु

हानि उसके लाभ की तुलना में कहीं बढ़कर होती है (क़ुरआन, 2:219)। नशे की अनुमति इस्लाम नहीं दे सकता। नशा ख़ुदा की प्रदान की हुई एक बड़ी नेमत की नाक़द्री है। होश और बुद्धि व चिन्तन में सन्तुलन से बढ़कर दूसरी क्या नेमत होगी! इसका नुक़सान कभी भी सहन नहीं किया जा सकता।

(5) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा, "हर एक नशीली चीज़ शराब है और हर नशीली चीज़ हराम है।"

(हदीस : मुसनद अहमद)

हराम की कमाई

(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "अल्लाह पाक है और वह पाक चीज़ों को ही क़बूल करता है, और अल्लाह ने मोमिनों को उसी चीज़ का आदेश दिया है जिसका आदेश उसने रसूलों को दिया है। अतएव उसका कथन है : 'ऐ रसूलो! उत्तम पाक चीज़ें खाओ और नेक अमल करो।'[1] और कहा है : 'ऐ ईमान लानेवालो! खाओ पाक उत्तम चीज़ों में से जो हमने तुम्हें प्रदान की हैं।'[2] फिर आप (सल्ल॰) ने एक व्यक्ति का ज़िक्र किया : 'जो 'लम्बी यात्रा करता है, बिखरे बाल और धूल से अटा हुआ, वह अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाता है और ऐ रब! ऐ रब! कहता है, जब कि खाना उसका हराम और पीना उसका हराम और वस्त्र उसका हराम और उसका पोषण भी हराम भोजन से हुआ है। फिर कैसे उसकी दुआएँ स्वीकार हों।' (हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : नबी (सल्ल॰) उदाहरण देकर समझाते हैं कि एक व्यक्ति मेहनत व मशक़्क़त करके पवित्र स्थानों का यात्रा करता है। यात्रा की हालत में उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसका शरीर धूल-धूसरित हो गया है। वह गिड़गिड़ा कर ऐ रब! ऐ रब! कहकर दुआएँ माँगता है। लेकिन उसकी दुआएँ रद्द कर दी जाएँगी, वे कदापि स्वीकृत नहीं हो सकेंगी, क्योंकि वह व्यक्ति हराम माल से बचता नहीं।

---

1. क़ुरआन, 23:51
2. क़ुरआन, 2:172

(2) हज़रत अबू-बक्र (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "जिस शरीर का पालन-पोषण हराम माल से हुआ वह जन्नत में प्रवेश न पा सकेगा।" (हदीस : बैहक़ी : शोबुल-ईमान)

व्याख्या : इस हदीस से, मालूम हुआ कि ऐसा व्यक्ति जन्नत से दूर रखा जाएगा, वह उसमें कदापि प्रवेश न कर सकेगा जो हराम माल खाता रहा हो।

संदिग्ध चीज़ों से परहेज़

(1) हज़रत नोमान-बिन-बशीर से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "हलाल स्पष्ट है और हराम भी स्पष्ट है। इन दोनों के बीच संदिग्ध चीज़ें हैं। अतः जो व्यक्ति संदिग्ध चीज़ों से बचा उसने अपने दीन (धर्म) और अपनी प्रतिष्ठा को सुरक्षित कर लिया तथा जो व्यक्ति संदिग्ध चीज़ों में पड़ा तो वह हराम में पड़कर रहेगा। जैसे वह चरवाहा जो वर्जित चरागाह के किनारे (अपने जानवर) चराता है, हर समय इसकी आशंका बनी रहती है कि उसका जानवर वर्जित चरागाह में घुसकर चरने लग जाए। सावधान! हर सम्राट की प्रतिबन्धित चरागाह होती है। सावधान! अल्लाह की प्रतिबन्धित चरागाह उसकी महारिम (हराम ठहराई हुई चीजें) हैं। यह भी सुन लो कि मानव के शरीर में मांस का एक लोथड़ा है, जब वह ठीक रहता है, सम्पूर्ण शरीर ठीक रहता है और जब उसमें बिगाड़ आ जाता है तो सम्पूर्ण शरीर में बिगाड़ आ जाता है। याद रखो वह (मांस का लोथड़ा) हृदय है।"

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

व्याख्या : क्या चीज़ें हलाल हैं और कौन-सी चीज़ें हराम हैं? शरीअत ने बहुत ही स्पष्ट रूप में सब बयान कर दिया है। उदाहरणार्थ यह सभी जानते हैं कि सदक़ा, .ख़ैरात करना, शादी-विवाह करना आदि वैध और हलाल है। इसी प्रकार सब जानते हैं कि मदिरापान, चोरी, व्यभिचार और झूठ बोलना आदि हराम और अवैध हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी सामने आ सकती हैं कि जिनका कोई स्पष्ट आदेश मालूम न हो, जिसके कारण सन्देह हो कि उनको हलाल समझें या उनको हराम ठहराएँ। उनके बारे में स्पष्ट निर्णय करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। यही कारण है कि अधिकतर लोग उन चीज़ों

की वास्तविकता से अनभिज्ञ ही रहते हैं, बल्कि कुछ चीज़ें तो विद्वानों के लिए भी संदिग्ध ही रहती हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में सावधानी यही है कि उनसे बचा जाए।

हदीस के अन्तिम भाग में दिल के स्वस्थ रखने पर बल दिया गया है। दिल में अगर कोई ख़राबी है, वह यदि कुफ़्र, संदेहावस्था या लोभ-लालच आदि रोगों में ग्रस्त है तो इससे शरीर ही नहीं मानव का पूरा अस्तित्व और उसकी पूरी ज़िन्दगी प्रभावित होगी।

वेश्यावृत्ति

(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल॰) ने बाँदियों की कमाई से रोका है।

व्याख्या : अर्थात् आमदनी के लिए उनको वेश्यावृत्ति पर विवश न किया जाए, जैसे कि अज्ञानकाल में कुछ लोग अपनी लौंडियो से पेशा कराते थे और यह उनकी आमदनी का एक मुख्य साधन था। इस्लाम ने इसे पूर्णतः हराम क़रार दे दिया। हदीस बुख़ारी में हज़रत-इब्ने-मसऊद (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल॰) ने व्यभिचार की आय से रोका है। हज़रत राफ़ेअ-बिन-ख़दीज (रज़ि॰) की रिवायत में है कि नबी (सल्ल॰) ने वेश्यावृत्ति के द्वारा प्राप्त होनेवाली आमदनी को नापाक और निकृष्ट आमदनी ठहराया है। लौंडी का मालिक उससे ऐसी रक़म की माँग नहीं कर सकता और न ऐसी रक़म वह उससे वुसूल कर सकता है जिसके बारे में वह यह न जानता हो कि यह रक़म वह कहाँ से और क्या करके ले आई है। (हदीस : अबू-दाऊद)। राफ़ेअ-बिन-रुफ़ाआ अनसारी (रज़ि॰) की रिवायत में स्पष्ट आदेश मौजूद है कि नबी (सल्ल॰) ने लौंडी की कमाई से रोका सिवाय इसके कि जो वह हाथ की मेहनत से प्राप्त करे। नबी (सल्ल॰) ने हाथ के इशारे से बताया कि यूँ जैसे रोटी पकाना, सूत कातना या ऊन और रूई धुनकना। (हदीस : मुसनद अहमद, अबू-दाऊद)

(2) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "इस्लाम में वेश्यावृत्ति के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।"

(हदीस : अबू-दाऊद)

व्याख्या : इस हदीस से स्पष्ट होता है कि इस्लाम में अश्लील कार्य की गुंजाइश ढूँढ़ना व्यर्थ है। इस्लाम मानव-समाज को हर प्रकार की निर्लज्जता और अश्लीलता से मुक्त देखना चाहता है। इसलिए कि वह किसी ऐसे कल्चर या संस्कृति को मानवता के लिए अपमानजनक समझता है जिसमें अश्लीलता और व्यभिचार को वैधता प्राप्त हो और उसकी ओर आकर्षित करने के सारे साधन उपलब्ध किए जाते हों। व्यभिचार और वेश्यावृत्ति के द्वारा प्राप्त की जानेवाली आय इस्लाम की दृष्टि में निकृष्टतम आय है।

शुफ़्आ (पड़ोसी का अधिकार)

(1) हज़रत जाबिर (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने यह आदेश दिया कि हर सामूहिक भूमि में शुफ़्आ साबित है जिसका बँटवारा न हुआ हो, चाहे वह घर हो या बाग़ हो। इसके अतिरिक्त यह भी है कि ऐसी ज़मीन के किसी साझीदार के लिए यह वैध नहीं कि वह अपने दूसरे साझीदार को सूचित किए बिना अपना हिस्सा बेच दे। अब वह दूसरा साझीदार चाहे तो वह हिस्सा स्वयं ख़रीद ले और चाहे तो छोड़ दे (किसी दूसरे के हाथ बेचने की अनुमति दे दे)। अगर किसी ने अपने दूसरे साझीदार को सूचित किए बिना अपना हिस्सा बेच दिया तो वह दूसरा साझीदार उसका अधिक हक़दार है (कि उस बिके हुए हिस्से को ख़रीद ले)।" (हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : शुफ़्आ शब्द शफ़आ से बना है, जिसका अर्थ होता है मिलाना, जोड़ा खाना। फ़िक़्ह (इस्लामी क़ानून) की परिभाषा में इससे अभिप्रेत वह पड़ोस-अधिकार या साझेदारी है जिसके कारण बिक्री होनेवाली ज़मीन को ख़रीदने का हक़ लोगों में सबसे पहले साझेदार को, जिसका उस ज़मीन में हिस्सा है, या फिर पड़ोसी को पहुँचता है।

किसी साझे की ज़मीन या मकान का कोई हिस्सेदार यदि अपना हिस्सा बेचना चाहता है तो उसके लिए अनिवार्य है कि वह अपने इस इरादे की सूचना अपने दूसरे साझेदार को दे दे ताकि यदि वह ख़रीदने की इच्छा रखता हो तो उस हिस्से को ख़रीद ले।

(2) हज़रत अबू-राफ़ेअ् (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल

(सल्ल॰) ने कहा, "पड़ोसी क़रीब होने के कारण (शुफ़आ का) अधिक हक़ रखता है।" (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : अर्थात् पड़ोसी जिसका घर मिला हुआ होता है शुफ़आ का अधिक हक़दार है। यह हदीस इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि शुफ़आ का हक़ सिर्फ़ जायदाद के शरीकों को ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह हक़ पड़ोसी को भी प्राप्त होता है। इस्लाम ने इनसान के स्वाभाविक अधिकारों का बहुत अधिक ध्यान रखा है। इस्लाम नहीं चाहता कि समाज में बिगाड़ और किसी प्रकार के असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो।

लाभदायक वस्तुओं (सम्पत्ति) की सुरक्षा

(1) हज़रत सईद-बिन-हुरैस (रज़ि॰) बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को यह कहते हुए सुना कि "तुममें से जो कोई मकान या ज़मीन बेचे तो यही होना चाहिए कि उस (की क़ीमत) में बरकत न हो सिवाय इसके कि वह उस (क़ीमत) को उसी जैसी जायदाद ख़रीदने में ख़र्च करे।"

(हदीस : इब्ने-माजा, दारमी)

व्याख्या : मतलब यह है कि अचल सम्पत्ति, ज़मीन और बाग़ आदि अनावश्यक बेचना और उससे चल सम्पत्ति ख़रीदना कोई समझदारी की बात नहीं है। सच यह है कि अचल सम्पत्ति में बरबादी और हानि की शंकाएँ कम होती हैं। चल सम्पत्ति के सिलसिले में तो हर समय भय रहता है कि कहीं वे चोरी न हो जाएँ या उन्हें किसी प्रकार की क्षति न पहुँच जाए। इसलिए बुद्धिमानी की बात यही है कि बिना अनिवार्य आवश्यकता के ज़मीन और मकान आदि अचल सम्पत्ति को बेचा ना जाए। अलबत्ता उसे बेचकर उसकी क़ीमत किसी दूसरे उचित मकान या ज़मीन की ख़रीदारी में लगा दिया जाए तो फिर इसमें बुराई नहीं है।

(2) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-हुबैश (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "जो कोई बेरी का पेड़ काटेगा, अल्लाह उसे सर के बल जहन्नम में डाल देगा।" (हदीस : अबू-दाऊद)

व्याख्या : इमाम अबू-दाऊद (रह॰) इस रिवायत को उद्धृत करने के

बाद कहते हैं, "यह हदीस संक्षिप्त है। पूरी हदीस का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति जंगल में बेरी के किसी ऐसे पेड़ को जिसकी छाया में मुसाफ़िर और जानवर शरण लेते हैं, बिना सोचे-समझे (Unjustly, Thoughtlessly) ज़ुल्म के साथ बिना अधिकार के काटेगा, अल्लाह उसे सर के बल जहन्नम में डाल देगा।"

आदमी को रहने के लिए सिर्फ़ जगह ही नहीं चाहिए बल्कि उसके लिए वातावरण की पवित्रता एवं शुद्धता भी आवश्यक है। इनसानी समाज पाक और साफ़-सुथरा हो, किसी प्रकार की नैतिक और वैचारिक बुराई उसमें न पाई जाए, हर ओर निश्चिन्तता एवं शान्ति हो, यह इस्लाम में अभीष्ट है। इसके साथ इस्लाम यह भी चाहता है कि धरती में रहनेवाले इनसानों और जानवरों के आराम और उनकी सुविधा का भी यथासम्भव ध्यान रखा जाए। मानव-कल्याण और सुरक्षा की उपेक्षा करके कोई काम न किया जाए। आज के उन्नत युग का इनसान कितना अधिक स्वार्थी और परिणाम की ओर से लापरवाह है! वह इस बात को भूल गया कि जीवन की सुरक्षा के लिए वातावरण का प्रदूषण एक ख़तरा है। आज नगरों में लोग ताज़ा और साफ़ हवाओं से वंचित होते जा रहे हैं। सड़कों और बाज़ार के शोर-शराबे कान को बहरा किए देते हैं। नदियों और समुद्र तक का जल विषैला होता जा रहा है।

आम इनसानों और जानवरों की ज़रूरतों को नज़रअन्दाज़ करके पेड़ को काट डालना इतना बुरा और ईश्वर के ग़ुस्से को भड़कानेवाला है कि ऐसे कर्म करनेवाले को सर के बल नरक में फेंक दिया जाएगा। सम्पूर्ण भूमण्डल की तबाही का सामान करनेवाले और इनसानों के स्वास्थ्य और शान्ति की परवाह किए बिना वातावरण को विविध प्रदूषणों और विष से भर देनेवाले कितने बड़े अपराधी हैं, यह आप स्वयं सोच सकते हैं।

मूल्य-निर्धारण

(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल ! आप दर निर्धारित कर दें। आप (सल्ल॰) ने कहा, "नहीं, बल्कि मैं दुआ करूँगा।" फिर एक व्यक्ति आया और उसने भी निवेदन किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! दर निर्धारित कर दें।

आप (सल्ल॰) ने कहा, "बात यह है कि अल्लाह ही दर घटाता और बढ़ाता है। और मैं इसकी आशा करता हूँ कि मैं अल्लाह से इस हाल में मिलूँ कि किसी के प्रति किसी ज़ुल्म का आरोप मुझपर न हो।" (हदीस : अबू-दाऊद)

व्याख्या : नबी (सल्ल॰) से उस व्यक्ति ने कहा कि आप दर निर्धारित कर दें ताकि ग़ल्ला आदि सस्ता रहे और लोग परेशानियों में न पड़ें। चीज़ों और ग़ल्ला आदि के भाव में गिरने और बढ़ने का कारण साधारणतया परिस्थितियाँ होती हैं। कब कैसी परिस्थिति होती है, इसे अल्लाह ही जानता है। हालात को बदलना भी वास्तव में उसी के हाथ में है। ज़बरदस्ती अप्राकृतिक रूप से वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर देना अर्थशास्त्र के सिद्धान्त के विरुद्ध होगा। नबी (सल्ल॰) कहते हैं कि मैं यह नहीं चाहता कि दुनिया से इस हाल में प्रस्थान करूँ कि मैंने किसी के भी हक़ में अन्याय की नीति अपनाई हो।

यहाँ यह बात भी ध्यान में रहे कि ग़ल्ला आदि की मँहगाई कभी पैदावार की कमी आदि प्राकृतिक कारणों से होती है और कभी कारोबारी लोग अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कृत्रिम अकाल की स्थिति पैदा करके क़ीमतें बढ़ा देते हैं। सरकार को यदि मालूम हो कि व्यापारियों की ओर से जनता पर ज़्यादती हो रही है और वे कहने-सुनने के बावुजूद अपनी नीति को नहीं बदलते तो वह क़ीमतें निर्धारित कर सकती है ताकि जनता को व्यापारियों के शोषण से बचाया जा सके। हज़रत उमर (रज़ि॰) ने एक बार देखा कि एक व्यक्ति सूखा अंगूर (मुनक़्क़ा) ऐसे दर पर बेच रहा है जो अनुचित सीमा तक महँगा है, तो उन्होंने कहा कि या तो क़ीमत मुनासिब हद पर लाओ या फिर अपना माल हमारे बाज़ार से उठा लो।

(2) हज़रत अनस (रज़ि॰) से रिवायत है कि लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, भाव तेज़ हो गया है। आप हमारे लिए भाव निर्धारित कर दें। अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "अल्लाह ही है जो भाव निर्धारित करता है, तंगी पैदा करता है, विस्तार करता है, आजीविका प्रदान करता है। मैं अल्लाह से इस दशा में मिलने की आशा करता हूँ कि तुममें से कोई किसी अन्याय के सम्बन्ध में मेरे विरुद्ध दावेदार न हो, न ख़ून के सिलसिले में और न माल के सिलसिले में।" (हदीस : अबू-दाऊद)

व्याख्या : अर्थात् मैं जान या माल किसी सिलसिले में भी ज़ुल्म या अन्याय को छूट नहीं दे सकता। मैं यह नहीं चाहता कि अल्लाह से इस हालत में मिलूँ कि गरदन पर कोई ज़ुल्म का बोझ हो और कोई मेरे विरुद्ध अल्लाह की अदालत में दावेदार बनकर खड़ा हो।

ज़मानत

(1) हज़रत सलमा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल॰) के पास एक जनाज़ा लाया गया ताकि आप उसकी नमाज़े-जनाज़ा पढ़ें। नबी (सल्ल॰) कहा, "क्या इसके ज़िम्मे कोई क़र्ज़ है?" लोगों ने कहा कि नहीं, तो आपने उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ी। फिर एक दूसरा जनाज़ा लाया गया। आपने पूछा, "क्या इसके ज़िम्मे कोई क़र्ज़ है?" लोगों ने कहा कि हाँ। आपने कहा, "तुम अपने साथी के जनाज़े की नमाज़ पढ़ लो।" हज़रत अबू-क़तादा (रज़ि॰) ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल इसका क़र्ज़ अपने ज़िम्मे लेता हूँ तो आप (सल्ल॰) ने उसकी जनाज़े की नमाज़ पढ़ी। (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : सहीह बुख़ारी में है कि एक क़र्ज़दार व्यक्ति का निधन हो गया। उसके तरका (पीछे छोड़ी हुई सम्पत्ति) में भी ऐसा कुछ न था कि उससे उसका क़र्ज़ चुकाया जा सकता। नबी (सल्ल॰) उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ने से रुक गए और कहा कि तुममें से कोई व्यक्ति इसके क़र्ज़ की ज़मानत ले ले, इसी स्थिति में मैं इसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ूँगा।

समझौता एवं सन्धि

(1) हज़रत अम्र-बिन-औफ़ मुज़नी (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा, "मुसलमानों के बीच समझौता जाइज़ है। सिवाय उस समझौते के जो हलाल को हराम या हराम को हलाल कर देने का कारण बने और मुसलमानों के लिए अपनी शर्तों की पाबन्दी करनी अनिवार्य है सिवाय उस शर्त के जो हलाल को हराम या हराम को हलाल कर दे।"

(हदीस : तिरमिज़ी, इब्ने-माजा, अबू-दाऊद)

व्याख्या : समझौते के कई रूप सम्भव हैं। किसी व्यक्ति ने किसी पर अपने किसी हक़ का दावा किया और उसने उसे स्वीकार कर लिया। अब

मुद्दई अगर अपने दावे में से कुछ घटा दे या कुछ दे दे या उसके अतिरिक्त कोई और चीज़ दे दे तो वैध है। यह भी सम्भव है कि कोई किसी पर अपने हक़ का दावा करे, लेकिन प्रतिवादी उसे स्वीकार न करे फिर भी झगड़े और क़सम से बचने के लिए वह मुद्दई को कुछ दे दे। यह भी हो सकता है कि जिसपर दावा किया गया हो, वह न तो स्वीकार करे और न इनकार करे मगर मुद्दई को कुछ देकर दावा समाप्त कराकर झगड़े को समाप्त कर दे। सुलह और समझौते की ये सभी शक्लें दुरुस्त हैं।

हवाला

(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "मालदार व्यक्ति का क़र्ज़ चुकाने में विलम्ब करना ज़ुल्म है। और जब तुममें से किसी (के क़र्ज़) को मालदार के हवाले किया जाए तो स्वीकार कर लेना चाहिए।" (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : इस हदीस से मालूम हुआ कि क़र्ज़ को हवाले करना वैध है। उदाहरणार्थ एक व्यक्ति के ज़िम्मे किसी का क़र्ज़ है और उस ऋणी का एक और अन्य व्यक्ति ऋणी है। अब यदि वह उस व्यक्ति से जिसका ऋण उसके ज़िम्मे है कहता है कि यह ऋण तुम मेरे ऋण से वुसूल कर लो और वह उसे स्वीकार कर ले तो ऋणी की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। अलबत्ता यह ज़रूरी है कि ऋण जिसके हवाले किया जा रहा है वह मालदार हो। अर्थात् ऋण को अदा करने का सामर्थ्य उसे प्राप्त हो।

सम्पत्ति-अधिकार की सुरक्षा

(1) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र (रज़ि॰) बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को यह कहते हुए सुना कि, "जो व्यक्ति अपने माल की सुरक्षा करते हुए मारा जाए वह शहीद है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

व्याख्या : अर्थात् जो व्यक्ति अपने माल और संसाधन की सुरक्षा में मारा गया तो उसे शहीद का दरजा प्राप्त होगा। यही आदेश उस व्यक्ति के लिए भी है जो अपने परिवार-जनों की सुरक्षा करता हुआ मारा जाए।

(2) हज़रत समुरा-बिन-जुन्दुब (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "जिसने अपना माल ज्यों-का-त्यों किसी के पास पाया तो उस माल का वही ज़्यादा हक़दार है, और जिसने उस माल को ख़रीदा है वह बेचनेवाले को पकड़े और उसपर अपनी माँग का दावा करे।"

(हदीस : अबू-दाऊद)

व्याख्या : अर्थात् जिस व्यक्ति से उसने माल ख़रीदा हो उसके विरुद्ध दावा करे।

(3) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) बयान करते हैं कि एक व्यक्ति ने उपस्थित होकर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे बताएँ कि कोई मेरा माल छीनना चाहे (तो क्या मैं उसे अपना माल दे दूँ) कहा, "नहीं, तुम उसे अपना माल न दो।" उसने कहा कि यह बताइए कि यदि मुझसे लड़े? आप (सल्ल॰) ने कहा, "तुम भी उससे लड़ो।" उसने कहा कि अगर वह मुझे मार डाले? कहा, "तुम शहीद होगे।" उसने कहा कि अच्छा यह बताइए कि अगर मैंने उसे मार डाला? कहा, "वह दोज़ख़ में जाएगा।" (हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : इससे मालूम हुआ कि मुसलमानों को अपने माल और जान और इज़्ज़त-आबरू की सुरक्षा करनी चाहिए और जो व्यक्ति उसके माल को लूटना चाहता है उसका पूरी शक्ति और पुरुषार्थ के साथ मुक़ाबला करे। यदि वह इस मुक़ाबले में मारा जाता है तो शहीद का दरजा प्राप्त करेगा।

पड़ी हुई चीज़ का उठाना

(1) हज़रत ज़ैद-बिन-ख़ालिद (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "जो व्यक्ति (किसी की) खोई हुई चीज़ को उठाकर घर में रख ले तो वह स्वयं भटक गया, जब तक कि वह उसका विज्ञापन न दे दे।" (हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : किसी की खोई हुई चीज़ या किसी के भटके हुए जानवर को वह अपने क़ब्ज़े में ले लेता है और उसे उसके वास्तविक मालिक तक पहुँचाने की उसे कोई चिन्ता नहीं होती तो किसी की तो एक चीज़ या जानवर ही गुम हुआ था, यहाँ यह स्वयं अपने आपको खो बैठा।

(2) हज़रत इयाज़-बिन-हिमार (रज़ि०) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कहा, "जो व्यक्ति कोई गिरी हुई चीज़ पाए तो चाहिए कि वह किसी न्यायप्रिय व्यक्ति को या (कहा कि) दो न्यायप्रिय व्यक्तियों को उसपर गवाह बना ले। न तो उस (पड़ी हुई चीज़) को छुपाए और न उसे (किसी दूसरी जगह भेजकर) ग़ायब करे। फिर उसका मालिक आ जाए तो उसको उसे सौंप दे, और यदि उसका मालिक न आए तो फिर वह अल्लाह का माल है, जिसको चाहे उसे दिलाए।"

(हदीस : मुसनद अहमद, अबू-दाऊद, दारमी)

व्याख्या : वह गवाह बना ले कि मैं यह चीज़ सुरक्षा की दृष्टि से या उसके मालिक तक पहुँचाने के उद्देश्य से उठा रहा हूँ। अब यह पड़ी हुई चीज़ उसके पास अमानत के तौर पर रहेगी।

उस चीज़ पर क़ब्ज़ा करने के उद्देश्य से न तो उसको छुपाए और न दूसरी जगह कहीं दूर भेजकर ग़ायब करे। वह उसका विज्ञापन और एलान इतनी अवधि तक करता रहे जब तक कि यह विश्वास न हो जाए कि अब उसकी माँग करनेवाला नहीं आएगा। अगर विज्ञापन की अवधि में उसका मालिक आ जाता है तो उसको उसकी चीज़ दे दी जाएगी, और अगर वह नहीं आता तो बेहतर है कि उस चीज़ को दान कर दे। इसके बाद यदि मालिक आ जाता है तो वह तावान (हर्जाना) ले सकता है या उस व्यक्ति से अपनी चीज़ वापस ले सकता है जिसको वह चीज़ दान के तौर पर दी गई हो। इसका विस्तृत विवरण फ़िक़ह की किताबों में देखा जा सकता है।

धन का उपभोग और वितरण

इनफ़ाक़ (भले कामों में ख़र्च करने) का महत्व

(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "अल्लाह कहता है कि तुम ख़र्च करो, मैं तुम पर ख़र्च करूँगा।"

(हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : इस हदीस में लोगों को इनफ़ाक़ अर्थात् भले कामों में ख़र्च करने की प्रेरणा दी गई है और कहा गया है कि माल ख़र्च करने में इसका भय नहीं होना चाहिए कि हम दरिद्र हो जाएँगे। माल अल्लाह ही का दिया हुआ होता है और उसके प्रदान का सिलसिला समाप्त नहीं होता। हम यदि उदारता और दानशीलता से काम लेंगे तो अल्लाह अपनी दानशीलता और कृपा से हमें और देगा।

(2) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा, "सबसे उत्तम सदक़ा (दान) वह है कि सदक़ा देनेवाले की मालदारी क़ायम रहे। और ऊपरवाला हाथ नीचे के हाथ से उत्तम है। और आरम्भ अपने घरवालों से करो।"

(हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : ऊपरवाले हाथ से अभिप्राय ख़र्च करनेवाला और देनेवाला हाथ है। इस हदीस में भी इनफ़ाक़ की श्रेष्ठता का वर्णन हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को अल्लाह ने इसका अवसर दिया है कि वह अपने हाथ से लोगों पर ख़र्च कर सके तो यह उसके लिए श्रेय और प्रतिष्ठा की बात है। अलबत्ता ख़र्च का आरम्भ उन लोगों से करना चाहिए जिनके पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी उसपर आती हो। ऐसा न हो कि आम लोगों पर तो अपना माल ख़र्च किया जाए लेकिन परिवार के लोग उपेक्षित होकर रह जाएँ। घरवालों के हक़ को प्रत्येक दशा में प्राथमिकता प्राप्त है।

(3) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा, "विधवाओं और दीन-दुखियों के लिए मेहनत-मज़दूरी करनेवाला अल्लाह की राह में जिहाद करनेवाले या रात में इबादत करनेवाले, दिन में रोज़ा रखनेवाले की तरह है।" (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : निर्धन और मुहताज लोगों की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करना समाज की ज़िम्मेदारी है। मुहताजों और ज़रूरतमन्दों की ज़रूरत पूरी करने के लिए यदि कोई प्रयत्नशील होता है और इसके लिए मेहनत और मशक़्क़त सहन करता है तो इस्लाम की निगाह में यह भी अल्लाह की राह में जिहाद और रोज़े और रातों में उठकर अल्लाह की इबादत जैसा काम है। इसे किसी नेकी से कम दरजे की नेकी नहीं समझना चाहिए।

(4) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने भाषण दिया और कहा, "लालच और कंजूसी से बचो। तुमसे पहले के लोग इस लोभ और कृपणता के कारण तबाह हुए। लोभ ने उन्हें कृपणता पर उभारा और वे कृपण (कंजूस) हो गए। इसने उन्हें नाता-रिश्ता तोड़ने पर उभारा और उन्होंने नाते-रिश्ते को तोड़ डाला। इसने उन्हें ईश्वर की अवज्ञा और गुनाह पर उभारा और वे अवज्ञाकारी और गुनाहगार बनकर रह गए।" (हदीस : अबू-दाऊद)

व्याख्या : तंगदिली और लोभ-लालच के रोग में ग्रस्त व्यक्ति कभी भी उन ज़िम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा सकता जो ज़िम्मेदारियाँ उसपर आती हैं। इस्लाम के जीवन-मार्ग पर चलना उसी दशा में सम्भव होता है, जबकि आदमी को लोभ और कृपणता जैसा अनैतिक रोग लगा हुआ न हो। इस्लाम का प्रतीक दानशीलता और उत्सर्ग है। अगर आदमी के अन्दर तंगदिली आई तो वह कृपण होकर रहेगा। फिर उससे किसी भलाई की आशा नहीं की जा सकती।

अवैध ख़र्च

(1) हज़रत उम्मे-सलमा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "जिसने सोने या चाँदी के बरतन में पिया उसने अपने पेट में

गष्ट-गष्ट करके जहन्नम (नरक) की आग भरी।" (हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : सोने या चाँदी का ज़ेवर स्त्री पहन सकती है, लेकिन सोने या चाँदी के बरतनों में खाना-पीना स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए अवैध है। इस्लाम इसे पसन्द नहीं करता कि ख़ुदा ने अगर किसी को धन दिया है तो वह उसे भोग-विलास में ख़र्च करने लग जाए। आदमी की कोशिश यह होनी चाहिए कि उसके धन का अधिक-से-अधिक भाग सार्वजनिक हित और भलाई के कामों में ख़र्च हो। इस्लाम की विशिष्टता यह है कि उसने आर्थिक मामलों का सम्बन्ध धर्म और नैतिकता से जोड़ दिया है।

(2) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि०) बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल०) को यह कहते हुए सुना है कि "रेशम और दीबाज न पहनो और न सोने-चाँदी के बरतन में पानी पियो और न उनकी प्लेटों में खाना खाओ। इसलिए कि ये दुनिया में अधर्मियों के लिए हैं और हमारे लिए आख़िरत में।" (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : अधर्मियों के लिए केवल दुनिया है। मोमिनों के सामने मूलतः दुनिया नहीं, आख़िरत की ज़िन्दगी होती है। इसलिए वे उसी के लिए चिन्ता-ग्रस्त हैं कि उन्हें आख़िरत में प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त हो। वे अपनी बहुत-सी कामनाओं की पूर्ति के लिए आख़िरत की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं।

(3) हज़रत जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ि०) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने उनसे कहा, "एक बिस्तर आदमी के लिए चाहिए और एक बिस्तर उसकी पत्नी के लिए और एक बिस्तर मेहमान के लिए चाहिए और चौथा शैतान का होगा।" (हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : यदि किसी के यहाँ एक से अधिक मेहमान की आमद रहती हो तो वह इसको ध्यान में रखते हुए एक से अधिक बिस्तर मेहमानों के लिए रख सकता है। हदीस का मूल उद्देश्य यह है कि अनावश्यक साज़ो-सामान इकट्ठा करना और उनपर रुपये ख़र्च करना इस्लाम की प्रकृति से मेल नहीं खाता।

माल को बरबाद करना

(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया, "अल्लाह तआला तुम्हारे लिए तीन चीज़ों को पसन्द करता और तीन चीज़ों को तुम्हारे लिए नापसन्द करता है। वह तुम्हारे लिए पसन्द करता है कि तुम उसकी बन्दगी करो, और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न करो, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़ लो और गरोहों में न बँटो, और वह तुम्हारे लिए जिन चीज़ों को नापसन्द करता है वे हैं : वाद-विवाद करना, अधिक प्रश्न करना और माल को बरबाद करना।" (हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : क़ुरआन और सुन्नत ने मूल और आधारभूत मामलों में किसी मतभेद की गुंजाइश बाक़ी नहीं रखी है और यह इस्लाम के सत्य धर्म होने का स्पष्ट प्रमाण है। गौण मामलों में पाया जानेवाला मतभेद पथभ्रष्टता और गुमराही हरगिज़ नहीं है। दीन में फूट डालना वास्तव में गुमराही और घोर अपराध है। दीन के मूल और आधारभूत सिद्धान्तों में मतभेद पैदा करना और उनको स्वीकार करने से इनकार करना जघन्य अपराध है। इसी प्रकार के अपराध की ओर इस आयत में संकेत किया गया है, "जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े-टुकड़े कर दिया और (इसके परिणामस्वरूप) स्वयं गरोहों में बँट गए, तुम्हारा उनसे कोई सम्बन्ध नहीं।" (क़ुरआन, 6:159)

किसी विषय में अनावश्यक वाद-विवाद और हुज्जतबाज़ी तथा किसी चीज़ में बे-मतलब ऐब तलाश करने की आदत इस्लाम को पसन्द नहीं है। यह वास्तव में एक मानसिक रोग और मनोविकार है। जितना शीघ्र सम्भव हो आदमी को इससे छुटकारा पाने की चिन्ता करनी चाहिए। अधिक प्रश्न करने से भी इनसान की अपनी दुर्बलता प्रकट होती है। जहाँ तक सम्भव हो आदमी को ख़ुद पर भरोसा करना चाहिए। प्रश्नों की अधिकता चाहे धार्मिक मसलों के सम्बन्ध में हो या आर्थिक सहायता की प्राप्ति के लिए हो, दोनों ही स्थितियों में यह अप्रिय है। इसको प्रोत्साहन कदापि नहीं मिलना चाहिए। इसके प्रोत्साहन से समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी जो किसी भी समाज के लिए हमेशा सिर दर्द बनते रहे हैं।

इस हदीस में अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों के साथ ही माल को बरबाद करने से रोका गया है।

माल बरबाद करना माल का अनादर ही नहीं है बल्कि यह कृतज्ञता की भावना के भी विपरीत है। अल्लाह के दिए हुए माल को बरबाद करना लापरवाही और अनुत्तरदायित्वपूर्ण काम है। अगर किसी के पास अपनी आवश्यकता से अधिक माल है तो वह माल को बरबाद करने के बदले उससे ज़रूरतमन्दों की ज़रूरत पूरी कर सकता है। यह माल का उत्तम उपयोग है। काश लोगों को इसका एहसास हो!

माल की तरह समय भी एक बहुमूल्य पूँजी है जिसकी साधारणतया उपेक्षा की जाती है। आदमी के लिए समय बरबाद करने को भी किसी अपराध से कम नहीं समझना चाहिए।

(2) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "आदमी के गुनाहगार होने के लिए यही काफ़ी है कि जिनकी रोज़ी उसके ज़िम्मे है वह उनकी रोज़ी को बरबाद करे।"

(हदीस : अबू-दाऊद)

व्याख्या : अर्थात् किसी व्यक्ति की गणना गुनाहगारों में हो इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह हत्या, डाकाज़नी और धरती में बिगाड़ पैदा करने जैसे घृणित अपराध ही करे। आदमी के लिए यह गुनाह भी कोई हलका और साधारण गुनाह नहीं है कि जिन लोगों का भरण-पोषण उसके ज़िम्मे हो वह उनकी चिन्ता से उन्मुक्त होकर माल कहीं और ख़र्च करने लगे और लोगों को उनके अपने हक़ से वंचित रखे।

(3) हज़रत जाबिर (रज़ि॰) बयान करते हैं कि मैंने नबी (सल्ल॰) को यह कहते हुए सुना कि, शैतान तुममें से हर व्यक्ति के पास उसके हर एक काम के समय उपस्थित होता है, यहाँ तक कि उसके खाने के समय भी उपस्थित होता है। जब तुममें से किसी का लुक़मा गिर जाए तो चाहिए कि (उसे उठाले और गर्द-धूल आदि) जो चीज़ उसे लग गई हो उसको साफ़ करके खा ले, उसे शैतान के लिए न छोड़े। और जब खाना खा चुके तो उसे चाहिए कि

अपनी उँगलियाँ चाट ले, क्योंकि वह नहीं जानता कि उसके खाने के किस भाग में बरकत है। (हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : खाने का एक लुक़मा बरबाद होने देना देखने में अत्यन्त साधारण बात है, किन्तु हक़ीक़त यह है कि इससे माल के बरबाद होने की बुराई का एहसास कमज़ोर होने लगता है और फिर इससे इनसान माल बरबाद करने का अभ्यस्त हो सकता है। इसलिए पहले ही क़दम पर जहाँ से बुराई का आरम्भ हो सकता है चेतावनी दी गई और कहा गया कि तुम्हारी चेष्टा यह हो कि तुम्हारा खाने का एक लुक़मा तक बरबाद न होने पाए। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि माल बरबाद करने से शैतान के उद्देश्य ही को बल प्राप्त होता है।

सन्तुलित और मध्यम मार्ग

(1) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, ख़र्च में मध्य मार्ग अपनाना अर्द्ध आजीविका है, और इनसानों से दोस्ती अर्द्ध बुद्धिमत्ता है और सुन्दर ढंग से प्रश्न करना आधा ज्ञान है।"

(हदीस : बैहक़ी—शोबुल-ईमान)

व्याख्या : एक अन्य हदीस में है कि "अपनी आजीविका में मध्य मार्ग और सन्तुलन धारण करना आदमी के समझदार होने के लक्षणों में से एक लक्षण है।" (हदीस : अहमद, तबरानी, अबू-दरदा से उल्लिखित) आमदनी और ख़र्च में सन्तुलन हो तो यह आजीविका और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता है। इसके विपरीत यदि आमदनी और ख़र्चों के बीच सन्तुलन शेष न रहे तो आदमी की आर्थिक दशा कभी ठीक नहीं रह सकती। वह अनिवार्यतः तरह-तरह की परेशानियों में ग्रस्त रहेगा और उसकी सारी अर्थ-व्यवस्था तितर-बितर होकर रह जाएगी।

जमाख़ोरी

(1) हज़रत मअमर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "जमाख़ोरी तो बस दोषी ही करता है।"

(हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : यदि लोग परेशान हैं, उनको खाने के लिए अनाज की आवश्यकता है और कोई व्यापारी सिर्फ़ इसलिए अनाज बाज़ार में नहीं लाता कि ग़ल्ले की क़ीमत चढ़ जाए, तो यह जमाख़ोरी अवैध है।

(2) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "जिसने महँगाई के ख़याल से ग़ल्ले को चालीस दिन तक रोक रखा उसने अल्लाह से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया और अल्लाह उससे विरक्त और अलग हो गया।" (हदीस : रज़ीन)

व्याख्या : अर्थात् उसकी यह जमाख़ोरी इस बात का प्रमाण है कि उसने अल्लाह से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया। उसको अल्लाह से किए हुए उस वचन का कुछ भी ध्यान न रहा जिसके अन्तर्गत लोगों के साथ वह सहानुभूति और करुणा का व्यवहार करता। जब अल्लाह को उसने भुला दिया तो अल्लाह को भी उसकी कोई परवाह न होगी।

(3) हज़रत अबू-उमामा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "जिस किसी ने (महँगाई के इरादे से) अनाज को चालीस दिन तक रोके रखा, फिर वह उसे ख़ैरात (दान) भी कर दे तो वह उसके लिए प्रायश्चित न होगा।" (हदीस : रज़ीन)

व्याख्या : चालीस दिन तक ग़ल्ले को रोक रखा जबकि लोगों को उसकी आवश्यकता थी। उसको लोगों की परेशानियों का कुछ भी ध्यान न रहा। उसे चिन्ता थी तो इसकी कि वह लोगों की मजबूरियों से कितना अधिक लाभ उठा ले। उसकी इस अपराधपूर्ण नीति की गम्भीरता का एहसास दिलाने के लिए कहा कि वह उस अनाज का दान कर दे तब भी यह अपराध ऐसा नहीं है कि क्षमा कर दिया जाए।

ज़कात

(1) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "इस्लाम पाँच चीज़ों पर आधारित है—इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं और यह कि मुहम्मद (सल्ल॰) अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात अदा करना, हज

करना और रमज़ान (महीने) के रोज़े रखना।" (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : इस्लाम की पाँच मौलिक शिक्षाओं में से एक ज़कात भी है। आदमी अगर धनवान है तो इस्लाम ने उसपर यह भी अनिवार्य किया है कि वह अपने माल की ज़कात भी दे। उसका माल केवल उसी के लिए होकर न रह जाए। वह दीन-दुखियों के भी काम आए और धर्म की सेवा में भी ख़र्च हो।

(2) हज़रत मूसा-बिन-तलहा (ताबिई) बयान करते हैं कि हमारे पास हज़रत मुआज़-बिन-जबल (रज़ि॰) का वह पत्र मौजूद है जिसको नबी (सल्ल॰) ने उनके पास भेजा था। अतएव हज़रत मुआज़ ने बयान किया कि, "अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने मुझे आदेश दिया है कि मैं गेहूँ, जौ, अंगूर और खजूरों की ज़कात वुसूल करूँ।" (हदीस : शरहुस्सुन्नह्)

व्याख्या : ज़मीन की हर एक पैदावार पर ज़कात वाजिब है। सिर्फ़ चार का वर्णन इसलिए किया गया कि यही चार चीज़ें उस क्षेत्र में पैदा होती थीं।

(3) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा, "जो आकाश और प्राकृतिक जल-स्रोतों से सींचा जाता हो या स्वयं ज़मीन नमीयुक्त हरी-भरी हो उसमें दसवाँ भाग (ज़कात) वाजिब होता है और जिसकी सिंचाई कुँएँ से होती हो उसमें पैदावार का बीसवाँ भाग वाजिब होता है। (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : तात्पर्य यह है कि जिस ज़मीन की सिंचाई कुएँ से पानी खींचकर की जाती हो और सिंचाई पर अच्छा ख़ासा ख़र्च आता हो उसकी पैदावार में बीसवाँ भाग ज़कात के रूप में वाजिब है और जिस ज़मीन की सिंचाई में कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, जो वर्षा ही से सिंचित हो जाती हो या जल-स्रोतों से सहज ही जिसकी सिंचाई हो जाती हो उसकी पैदावार का दसवाँ भाग ज़कात के तौर पर देना होगा।

(4) हज़रत रबीआ-बिन-अबू-अब्दुर्रहमान (ताबिई) बहुत-से सहाबा से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने हज़रत बिलाल इब्ने-हारिस मुज़न्नी को फ़ुरअ के निकटवर्ती क्षेत्र में क़बल की खानें जागीर के रूप में

प्रदान की थीं। अतएव उन खानों से अब तक ज़कात ली जाती है।

(हदीस : अबू-दाऊद)

व्याख्या : मालूम हुआ कि खानों की आय में से भी अल्लाह की राह में ख़र्च करना ज़रूरी है।

जानवरों जैसे गाय, बकरी और ऊँट आदि पर भी ज़कात वाजिब है। सोना, चाँदी और व्यापारिक सामग्रियों पर भी ज़कात देनी फ़र्ज़ है।

(5) हज़रत अता इब्ने-यसार रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कहा, "मालदार के लिए सदक़ा और ज़कात का माल जाइज़ नहीं सिवाय पाँच हालतों के। ख़ुदा की राह में जिहाद करनेवाले के लिए, ज़कात वुसूल करने पर जो नियुक्त हो उसके लिए, तावान भरनेवाले के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो ग़रीब से उसका माल अपने माल के बदले में ख़रीद ले और उस व्यक्ति के लिए जिसके पड़ोस में कोई मिसकीन रहता हो और किसी ने उसे ज़कात का माल दिया और वह उसे भेंटस्वरूप अपने मालदार पड़ोसी को दे दे।" (हदीस : मालिक, अबू-दाऊद)

(6) हज़रत अबू-सईद ख़ुदरी (रज़ि०) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने कहा, "पाँच वस्क़ से कम खजूर हो तो उसपर ज़कात नहीं, पाँच औक़िया से कम चाँदी हो तो उसपर ज़कात वाजिब न होगी और पाँच रास से कम ऊँटों पर ज़कात वाजिब नहीं।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

व्याख्या : पाँच वस्क़ नौ क्विंटल के बराबर होते हैं। अगर खजूरें इस मात्रा से कम हों तो इस हदीस के अनुसार उसमें दसवाँ भाग ज़कात के रूप में वाजिब न होगा।

'अवाक़' औक़िया का बहुवचन है। पाँच अवाक़ साढ़े बावन तोले (लगभग 612.5 ग्राम) के बराबर होते हैं, जो ज़कात में चाँदी का निसाब है। सोने का निसाब साढ़े सात तोले (लगभग 87.5 ग्राम) है। सोने और चाँदी दोनों मिलकर अगर निसाब के बराबर हो जाते हों तो ज़कात अदा करनी होगी। इसके लिए एक शर्त यह भी है कि ये मालिक की मिल्कियत में निरन्तर साल भर रह चुके हों। यह शर्त सोने, चाँदी, नक़दी, मवेशी और व्यापारिक सामग्रियों के लिए

है। कृषि की पैदावार, फल, शहद, खनिज पदार्थ और गड़े हुए धन के लिए वर्ष पूरा होने की शर्त नहीं है।

(7) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि०) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल०) ने कहा, "जो भूमि आकाश से सिंचित होती हो या जल स्रोतों से या स्वयं भूमि हरी-भरी हो तो उसमें दसवाँ भाग वाजिब होता है, और जो ज़मीन ऊँटों (या बैलों) द्वारा कुँएँ से पानी खींचकर सींची गई हो उसकी पैदावार में बीसवाँ भाग ज़कात के रूप में देना वाजिब है।" (हदीस : बुख़ारी)

(8) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद (रज़ि०) की पत्नी हज़रत ज़ैनब (रज़ि०) से उल्लिखित है, वे बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने हम स्त्रियों को सम्बोधित किया और फ़रमाया, "ऐ स्त्रियों की जमाअत, तुम (माल की) ज़कात अदा करो यद्यपि वह तुम्हारा ज़ेवर ही क्यों न हो, क्योंकि क़ियामत के दिन तुममें अधिकतर नारकीय होंगी।" (हदीस : तिर्मिज़ी)

व्याख्या : ज़ेवर की ज़कात के बारे में इमामों में मतभेद पाया जाता है। इमाम अबू-हनीफ़ा (रह०) के मतानुसार कोई भी ज़ेवर जब निसाब की सीमा को पहुँचता हो उसमें ज़कात वाजिब है। इमाम मालिक (रह०) और इमाम अहमद (रह०) के मतानुसार उन ज़ेवरों में ज़कात वाजिब नहीं जिनका इस्तेमाल होता हो। जो ज़ेवरात इस्तेमाल में आते हों, जिसकी हैसियत शृंगार की है, उनपर ज़कात वाजिब नहीं है। अलबत्ता जो ज़ेवर जमा-धन के रूप में एकत्र किए गए हों, जिनका मालिक उनको जमा-धन या नक़दी समझता हो, ऐसे ज़ेवरों की ज़कात देनी वाजिब है।

(9) हज़रत समुरा-बिन-जुन्दुब (रज़ि०) बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) हमें आदेश दिया करते थे कि हम जो माल व्यापार के लिए तैयार करें उसकी ज़कात निकाला करें। (हदीस : अबू-दाऊद)

व्याख्या : कुछ लोग तिजारत के माल में ज़कात के वाजिब होने को स्वीकार नहीं करते, लेकिन अधिकांश विद्वानों के मतानुसार व्यापार के माल में ज़कात वाजिब है।

(10) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि०) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल

(सल्ल॰) ने कहा, "यदि जानवर किसी को घायल कर देता है तो माफ़ है। यदि कुएँ में गिर कर कोई मर जाता है या कुआँ खोदने में कोई मर जाए तो माफ़ है। खान खोदने में कोई मर जाए तो माफ़ है और खान तथा गड़े हुए ख़ज़ाने में से पाँचवाँ हिस्सा वाजिब है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

व्याख्या : अर्थात् मौत यदि किसी की कोताही और लापरवाई से घटित नहीं होती तो तावान और अर्थदण्ड आदि नहीं लिया जाएगा।

(11) हज़रत ज़ियाद-बिन-हारिस सुदाई (रज़ि॰) बयान करते हैं कि मैं नबी (सल्ल॰) की सेवा में उपस्थित हुआ और आपके हाथ पर बैअत की। फिर वे एक लम्बी हदीस बयान करते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति नबी (सल्ल॰) के पास आया और कहने लगा कि आप मुझे ज़कात के माल में से प्रदान करें। नबी (सल्ल॰) ने कहा, "ज़कात के सम्बन्ध में (कि वह किसे दी जाए) अल्लाह न तो किसी नबी के आदेश पर राज़ी हुआ और न किसी ग़ैर-नबी के आदेश पर, बल्कि अल्लाह ने स्वयं इसके बारे में आदेश प्रदान किया। अतएव अल्लाह ने ज़कात को आठ हिस्सों में विभक्त किया है। यदि तुम उन आठ में से होगे तो मैं ज़कात का माल तुम्हें दे दूँगा।" (हदीस : अबू-दाऊद)

व्याख्या : इस हदीस में क़ुरआन की आयत संख्या 9.60 का सन्दर्भ लिया गया है। इस आयत में ज़कात के ख़र्च करने की आठ मदों का वर्णन स्पष्ट रूप में किया गया है : (1) निर्धन (2) दीन-दुखी (3) जो ज़कात वुसूल करने पर नियुक्त हों, (4) जिनके दिलों को आकृष्ट करना और परचाना अभीष्ट हो (5) जिनकी गरदनें फँसी हुई हों अर्थात् ग़ुलाम और क़ैदी आदि, (6) जिन्हें तावान भरना हो या ऋणी लोग, (7) अल्लाह के मार्ग में (अर्थात् वह कार्य जो अल्लाह के दीन के लिए हो रहा हो, उदाहरणार्थ जिहाद, दीन के ज्ञान का प्रचार-प्रसार) और (8) मुसाफ़िर जिन्हें अपने वतन से दूर होने के कारण सहायता की आवश्यकता हो।

सदक़ा-ए-फ़ित्र

(1) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने रोज़ों को बेहूदा बातों और अश्लील और निरर्थक बातों से पाक

करने के लिए मिसकीनों को खिलाने के उद्देश्य से सदक़ा-ए-फ़ित्र अनिवार्य किया है। (हदीस : अबू-दाऊद)

व्याख्या : रमज़ानुल-मुबारक के रोज़े पूरे करने के बाद ईदुल-फ़ित्र के अवसर पर जिस दान के देने का आदेश है उसे सदक़ा-ए-फ़ित्र कहते हैं। सदक़ा-ए-फ़ित्र घर के सभी व्यक्तियों की ओर से देना होता है। इस हदीस में इस सदक़े की हिक्मत यह बयान हुई है कि रमज़ान में रोज़ेदार से जो कोताही और भूल हुई होगी जिसके कारण उसके रोज़े में जो कमी रह गई होगी वह दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त एक बड़ी हिक्मत सदक़ा-ए-फ़ित्र की यह है कि ईद की ख़ुशियों में मिसकीनों और मुहताजों को भी आम मुसलमानों के साथ शरीक होने का अवसर मिल सकेगा।

(2) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने मुसलमानों में से हर एक ग़ुलाम, आज़ाद, पुरुष, स्त्री और छोटे बड़े-पर ज़काते-फ़ित्र (सदक़ा-ए-फ़ित्र) के रूप में एक साअ खजूर या एक साअ जौ अनिवार्य किया है। और सदक़ा-ए-फ़ित्र के सिलसिले में यह भी आदेश दिया है कि वह लोगों के नमाज़ के लिए निकलने से पहले अदा कर दिया जाए। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

व्याख्या : साअ 3 किलो 266 ग्राम के माप को कहते हैं। अच्छी और प्रशंसनीय बात यही है कि सदक़ा-ए-फ़ित्र ईद की नमाज़ के लिए घर से निकलने से पहले ही अदा कर दिया जाए।

आम सदक़ात (सामान्य दान)

(1) हज़रत असमा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "ख़र्च करो, गिन-गिनकर न रखो, अन्यथा अल्लाह भी गिन-गिनकर देगा, और बन्द करके न रखो अन्यथा अल्लाह भी तुमसे रोक लेगा।"

(हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : अर्थात् नेक काम और भलाई के कामों में विशाल हृदयता के साथ अपने माल ख़र्च करो। माल इसी लिए है कि वह अच्छे कामों में ख़र्च हो। माल को जमा करने की चिन्ता में न पड़ो। अगर तुम माल ख़र्च करने में

झिझक से काम लोगे और बहुत सम्भाल-सम्भाल कर और गिन-गिनकर ख़र्च करोगे और अपने माल को रोके रखने की तुम्हें अधिक चिन्ता होगी तो सुन लो, अल्लाह भी तुम्हारे साथ यही नीति अपनाने में समर्थ है। वह तुमसे आजीविका रोक सकता है या दे भी तो बहुत नाप-तौलकर दे।

(2) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "जिनसे ईर्ष्या (अर्थात् प्रतिस्पर्द्धा) की जाए सिर्फ़ दो व्यक्ति हैं। एक तो वह व्यक्ति जिसे अल्लाह ने क़ुरआन प्रदान किया और वह रात की घड़ियों में और दिन के समयों में उसमें व्यस्त रहता है। दूसरा वह व्यक्ति जिसे अल्लाह ने माल प्रदान किया और वह उसमें से रात के समयों में और दिन के समयों में ख़र्च करता रहता है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

व्याख्या : किसी के पास कोई नेमत देखकर यह तमन्ना करना कि हमें भी यह नेमत प्राप्त हो जाए बिना इसके कि वह नेमत उस दूसरे व्यक्ति से छिन जाए; वैध है। इसे लाक्षणिक रूप में ईर्ष्या कहा गया है। वास्तव में यह रश्क है जिसके जाइज़ होने में किसी को सन्देह नहीं हो सकता। इसके विपरीत किसी के पास कोई नेमत देखकर यह कामना करना कि वह नेमत उससे छिन जाए और वह नेमत हमें मिल जाए, यह हसद (व ईर्ष्या) अवैध है।

(3) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लेख है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा, "यदि मेरे पास उहुद पर्वत के बराबर सोना होता तो अनिवार्यतः मुझे यही पसन्द होता कि तीन रातें भी इस दशा में व्यतीत न हों कि उसमें से एक दीनार भी मेरे पास रह जाए जिसे मैंने क़र्ज़ चुकाने के लिए न रखा हो, इस दशा में कि मैं ऐसे व्यक्ति को पाऊँ जो उसे क़बूल करे।" (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : इस हदीस से मालूम होता है कि नबी (सल्ल॰) के दिल में ख़र्च करने की भावना कितनी अधिक पाई जाती थी। आपको माल जमा करने के बदले माल ख़र्च करने से अस्ल दिलचस्पी थी।

सहयोग एवं सहानुभूति

(1) हज़रत अबू-सईद ख़ुदरी (रज़ि॰) रिवायत करते हैं कि हम एक सफ़र में अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के साथ थे। अचानक एक व्यक्ति ऊँट पर सवार होकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। वह कभी दाईं ओर जाता, कभी बाईं

ओर मुड़ता। इस अवसर पर आप (सल्ल॰) ने कहा, "जिसके पास अधिक सवारी हो उसे चाहिए कि उसे दे दे जिसके पास सवारी न हो और जिसके पास अधिक पाथेय (खाने-पीने का सामान) हो उसे चाहिए कि उसे उस व्यक्ति को दे दे जिसके पास पाथेय न हो।" इस तरह आप (सल्ल॰) ने कई प्रकार के मालों का उल्लेख किया यहाँ तक कि हमने ख़याल किया कि आवश्यकता से अधिक चीज़ों में हमारा कोई हक़ नहीं है।" (हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी सवारी भी थक-हार गई थी और वह स्वयं भी भूख से निढाल हो चुका था। वह इधर-उधर देखता था कि कहीं से उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए।

नबी (सल्ल॰) को उसकी परेशानी और दयनीय स्थिति पर दया आई और आप (सल्ल॰) ने लोगों को प्रेरित किया कि जिसके पास अपनी आवश्यकता से अधिक सामान हो उससे वह अपने ज़रूरतमन्द भाई की मदद करे। आवश्यकता से अधिक चीज़ों का उत्तम प्रयोग यह है कि वह ज़रूरतमन्दों के काम आए।

(2) हज़रत असमा-बिन्ते-अबू-बक्र (रज़ि॰) बयान करती हैं कि मुझसे नबी (सल्ल॰) ने कहा, "(सदक़ा और ख़ैरात को) रोको मत, अन्यथा तुमसे भी रोक लिया जाएगा।" (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : हज़रत असमा-बिन्ते-अबू-बक्र (रज़ि॰) से बुखारी में यह रिवायत भी उल्लिखित है कि वे नबी (सल्ल॰) के पास आईं तो आप (सल्ल॰) ने कहा, "(रुपये-पैसे) थैली में बन्द करके मत रखो वरना अल्लाह भी बन्द रखेगा, तुम्हें देगा नहीं, और जहाँ तक तुमसे हो सके ख़ैरात करती रहो।"

इन उल्लेखों से पता चलता है कि माल और धन इसी लिए है कि वह अच्छे से अच्छे कामों में ख़र्च हो। इस सम्बन्ध में कृपणता अल्लाह को कदापि पसन्द नहीं है।

माँगनेवाले का हक़

(1) हज़रत हुसैन-बिन-अली (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "माँगनेवाले का हक़ है (कि उसे दिया जाए) यद्यपि वह घोड़े पर सवार होकर आए।" (हदीस : मुसनद अहमद, अबू-दाऊद)

व्याख्या : अर्थात् जहाँ तक सम्भव हो माँगनेवाले को .ख़ाली हाथ वापस नहीं करना चाहिए। यद्यपि माँगनेवाला घोड़े और क़ीमती सवारी पर सवार होकर आया हो जिससे मालूम होता हो कि वह एक समृद्ध व्यक्ति है, कोई मुहताज और मिसकीन नहीं है। यह सोचने की बात है कि जब वह लोगों के सामने हाथ फैला रहा है तो आश्चर्य नहीं कि वह वास्तव में ज़रूरतमन्द हो और ज़रूरत ने उसे माँगने और सवाल करने पर विवश कर दिया हो। माँगनेवाले का हर हाल में यह हक़ स्वीकार किया गया है कि उसे कुछ-न-कुछ अवश्य दिया जाए। अलबत्ता अगर यह साबित हो कि माँगनेवाला कोई धोखेबाज़ है और वह लोगों को धोखा देकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करना चाहता है और उसने इसी को अपना व्यवसाय बना रखा है तो फिर ऐसे मक्कार को प्रोत्साहित करने से बचना ही अच्छा होगा।

उपहार

(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "जिस किसी को सुगंधित फूल (उपहारस्वरूप) दिया जाए तो वह उसे न लौटाए (बल्कि स्वीकार कर ले) क्योंकि वह बहुत हलका और सुगन्ध अच्छी है।" (हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : अपने भाइयों और दोस्तों को उपहार देने को इस्लाम पसन्द करता है। यह आपस के सम्बन्धों के मधुर होने का प्रतीक है और इससे सम्बन्धों और मेल-मुहब्बत में और अधिक वृद्धि होती है। यदि उपहार सच्चे दिल से और प्रेमपूर्वक दिया जाए तो उसके स्वीकार करने पर कोई बुराई महसूस नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर महसूस हो कि इसके पीछे अच्छी भावनाएँ नहीं हैं तो उसे स्वीकार करने से खेद प्रकट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर उपहार इतना क़ीमती है कि महसूस हो कि उपहार पेश करनेवाला उससे क़र्ज़ आदि के बोझ तले दब जाएगा और उसके कारण उसके कष्ट में पड़ जाने की आशंका है तो इस स्थिति में भी उपहार को अस्वीकार किया जा सकता है।

(2) हज़रत जाबिर (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा, "जिस किसी व्यक्ति को कोई चीज़ (उपहारस्वरूप) दी जाए और वह उसका

बदला देने की सामर्थ्य रखता हो तो उसे चाहिए कि वह उसको उसका बदला दे। रहा वह व्यक्ति जो बदला देने की सामर्थ्य न रखता हो तो वह उपहार देनेवाले की प्रशंसा करे, क्योंकि जिसने प्रशंसा की उसने आभार प्रकट किया और जिस किसी ने छिपाया (उपकारकर्ता के उपकार को व्यक्त नहीं होने दिया), उसने कृतज्ञता नहीं दिखाई।" (हदीस : तिरमिज़ी, अबू-दाऊद)

व्याख्या : उपहार देनेवाले का यह हक़ है कि हम उपहार स्वीकार करके चुप न रह जाएँ, बल्कि हम भी उसके बदले में अपनी ओर से उसे कोई न कोई उपहार अवश्य दें और इस प्रकार हम उसके कृतज्ञ हों, लेकिन अगर हम इस स्थिति में अपने को नहीं पाते कि उपहार देनेवाले को बदले में कुछ दे सकें तो कम-से-कम यह प्रकट करें कि उपहार बहुत पसन्द आया और उपहार देनेवाले व्यक्ति के लिए अपने मुख से कुछ प्रशंसा के शब्द ही कहें।

(3) हज़रत उसामा-बिन-ज़ैद (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "जिस व्यक्ति के साथ कोई एहसान (उपकार) किया जाए और वह एहसान करनेवाले के हक़ में ये शब्द कहे : "जज़ाकल्लाहु ख़ैरा" (अल्लाह तुझे इसका अच्छा बदला दे), तो उसने (अपने उपकारकर्ता की) पूरी प्रशंसा की।" (हदीस : तिरमिज़ी)

व्याख्या : 'जज़ाकल्लाहु ख़ैरा' (अल्लाह तुझे अच्छा बदला दे) देखने में तो एक दुआ का वाक्य है, लेकिन हदीस में इसे पूर्ण प्रशंसा से अभिहित किया गया है। वास्तव में एहसान करनेवाले के हक़ में दुआ करने का मतलब ही यह होता है कि हमने इस एहसान को अत्यन्त महत्व दिया। किसी के एहसान को महत्व देना, चाहे वह एहसान किसी भी रूप में किया गया हो, एहसान करनेवाले की प्रशंसा ही होगी।

(4) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) बयान करते हैं कि मैंने देखा है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को जब कोई नया फल पेश किया जाता तो उसको अपनी आँखों और होंठों पर रखते और कहते, "ऐ अल्लाह जिस तरह तूने हमें इस फल का आरम्भ दिखाया उसी प्रकार इसका परिणाम भी दिखा।" इसके बाद वह फल उस बच्चे को दे देते जो उस समय आपके पास होता।

(हदीस : बैहक़ी—अद्-दावातुल-कबीर)

व्याख्या : ताज़े फल को आँखों पर रखने और होंठों से उसे स्पर्श करने का मूल उद्देश्य अल्लाह की ताज़ा नेमत का आदर व सम्मान है। इस मौक़े पर आप जो दुआ करते कि 'ऐ अल्लाह जिस तरह तूने हमें इस फल का आरम्भ दिखाया उसी प्रकार इसका परिणाम भी दिखा' अर्थात् हमें इसका अवसर प्रदान कर कि आरम्भ से ही लाभ न उठाएँ बल्कि अधिक से अधिक तेरी नेमतों से लाभान्वित हो सकें। यह दुनिया तो वास्तव में तेरे अनुग्रह का आरम्भ है जिसका परिणाम आख़िरत की दुनिया है। दुनिया में जो तेरा अनुग्रह और कृपाएँ हो सकती हैं, हम उन ही के नहीं, बल्कि आख़िरत की कभी न समाप्त होनेवाली नेमतों के लिए भी तुझसे प्रार्थना करते हैं। ऐ अल्लाह! जिस प्रकार दुनिया में तूने हमें यह नेमत दी है, आख़िरत में भी यह नेमत हम देख सकें। यह उत्तम आरम्भ इससे भी बढ़कर किसी उत्तम परिणाम की सूचना है। हम अच्छे परिणाम और तेरी अनन्त कृपाओं से कैसे लालसा रहित हो सकते हैं?

बच्चे भी नए और ताज़ा फल के सदृश होते हैं। ताज़गी ताज़गी को अधिक शोभा देती है। नया फल बच्चे को देने में अच्छे ज़ौक़ और सूक्ष्मदर्शिता का प्रदर्शन होता है।

थोड़े समय के लिए कोई चीज़ लेना

(1) हज़रत अनस (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि एक बार मदीना में घबराहट पैदा हो गई तो नबी (सल्ल॰) ने अबू-तलहा अनसारी (रज़ि॰) से उनका घोड़ा, जिसे मन्दूब कहते थे, उधार माँगा और आप (सल्ल॰) उस पर सवार होकर चले गए (उस ओर गए, जिधर से ख़तरे का भय था)। फिर जब आप (सल्ल॰) लौटे तो कहा, "हमने कुछ नहीं देखा (अर्थात् भय की कोई बात नहीं है, लोग निश्चिन्त रहें) और हमने इसको (घोड़े को) प्रवाहित समुद्र पाया।"

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

व्याख्या : इस हदीस से किसी से वक़्ती ज़रूरत के लिए कुछ लेने का वैध होना ज्ञात होता है। किसी को कोई चीज़ उधार देना एक सामाजिक आवश्यकता है। इसकी ओर से असावधानी नहीं होनी चाहिए। वह समाज अत्यन्त ही स्वार्थी होगा जहाँ कोई किसी के काम न आता हो, जहाँ लोगों

को सिर्फ़ अपना ही हित प्रिय हो।

(2) हज़रत अबू-उमामा (रज़ि॰) बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को यह कहते हुए सुना है, "उधार ली हुई चीज़ वापस की जाए। 'मिनहा' का वापस करना भी ज़रूरी है। क़र्ज़ चुकाया जाए और ज़मानत लेनेवाले के लिए ज़रूरी है कि ज़मानत अदा करे।" (हदीस : तिरमिज़ी, अबू-दाऊद)

व्याख्या : अर्थात् ऐसा नहीं होना चाहिए कि ली तो किसी से कोई चीज़ उधार, लेकिन उसपर क़ब्ज़ा करके बैठ रहे और उसे वापस करने का नाम ही नहीं लेते।

'मिनहा' उस जानवर, ज़मीन और पेड़ आदि को कहते हैं जो किसी को उधार दिया जाए ताकि उनसे दूध, फल आदि से लाभ उठा ले। मिनहा में सिर्फ़ लाभ प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। इसलिए लाभ उठाने के बाद उसके अस्ल मालिक के हवाले कर देना चाहिए।

हिबा (अनुदान)

(1) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ि॰) बयान करते हैं कि वे एक सफ़र में नबी (सल्ल॰) के साथ थे और वे हज़रत उमर (रज़ि॰) के एक उद्दण्ड ऊँट पर सवार थे। वह नबी (सल्ल॰) की सवारी से आगे बढ़ जाता तो उनके पिता (हज़रत उमर) कहते कि ऐ अब्दुल्लाह, कोई व्यक्ति नबी के आगे न बढ़े। नबी (सल्ल॰) ने (हज़रत उमर से) कहा, "उसे मेरे हाथ बेच दो।" हज़रत उमर ने कहा, "वह तो आप ही का है।" आप (सल्ल॰) ने उसे ख़रीद लिया। फिर आप (सल्ल॰) से कहा, "ऐ अब्दुल्लाह, यह तुम्हारा है जो चाहो करो।"

(हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : नबी (सल्ल॰) ने ख़रीदे हुए ऊँट को हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि॰) को दे दिया और स्पष्ट कर दिया कि यह ऊँट तुम्हारा है। तुम जो चाहो करो। इसे सवारी के लिए अपने पास रख सकते हो या जैसा चाहो, इसे किसी के हाथ बेच भी सकते हो, क्योंकि अब यह तुम्हारी सम्पत्ति है। इसे हिबा (उपहार देना) कहा जाता है।

(2) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल॰) ने

कहा, "हिबा करके उसे वापस लेनेवाला उस कुत्ते की तरह है जो उल्टी करे फिर उसे खाए।" (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : अर्थात् हिबा करके वापस लेना अत्यन्त गिरी हुई और घिनावनी बात है। इसकी बुराई को आपने एक मिसाल के द्वारा स्पष्ट किया।

(3) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "कोई व्यक्ति अपने हिबा को वापस न ले। केवल बाप के लिए वैध है कि वह अपने बेटे से अपने किए हुए हिबा को ले ले।"

(हदीस : नसई, इब्ने-माजा)

व्याख्या : बाप-बेटे का पारस्परिक सम्बन्ध सामान्य सम्बन्धों से पूर्णतः भिन्न होता है। इसलिए जिस प्रकार बाप ज़रूरत पड़ने पर औलाद के माल से अपने ऊपर ख़र्च कर सकता है, उसी प्रकार जो चीज़ उसने अपने बेटे को हिबा के रूप में दी है, आवश्यकता पड़ने पर वह उससे भी लाभ उठा सकता है।

(4) हज़रत नोमान-बिन-बशीर (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि मेरे बाप मुझे उठाकर अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के पास ले गए और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप गवाह रहें कि मैंने नोमान को अमुक-अमुक चीज़ अपने माल में से हिबा की है। आप (सल्ल॰) ने कहा, "क्या अपने हर एक बेटे को ऐसे ही दिया है जैसे नोमान को दिया है?" मेरे बाप ने कहा कि नहीं। आप (सल्ल॰) ने कहा, "फिर मेरे सिवा किसी दूसरे को इसपर गवाह कर लो।" फिर कहा, "क्या तुमको इससे ख़ुशी होगी कि तुम्हारे साथ नेकी करने में सब बराबर हों?" कहा कि हाँ, क्यों नहीं। आप (सल्ल॰) ने कहा, "फिर ऐसा न करो (कि एक को दो और एक को न दो)।" (हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : "मेरे सिवा किसी और को गवाह कर लो" अर्थात् मैं इस अन्याय और अत्याचार पर गवाह कैसे बन सकता हूँ!

यह हदीस बताती है कि अपनी सन्तान के बीच किसी प्रकार का अन्तर एवं भेदभाव करना बहुत ही अनुचित बात है। जिस प्रकार बाप अपनी सन्तान से अच्छे व्यवहार की आशा और आकांक्षा रखता है, ठीक उसी प्रकार उसे भी चाहिए कि वह अपनी सन्तान के साथ समानता का व्यवहार करे। अगर कोई

चीज़ दे तो अपनी सब औलाद को दे। एक को देना और दूसरे को वंचित रखना इस्लामी शिक्षाओं के बिलकुल विरुद्ध है।

वक़्फ़ (धर्मार्थ दान)

(1) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर (रज़ि॰) बयान करते हैं कि (उनके पिता) हज़रत उमर (रज़ि॰) को ख़ैबर की कुछ ज़मीन (माले-ग़नीमत के वितरण के अवसर पर) मिली तो वे नबी (सल्ल॰) की सेवा में उपस्थित हुए और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे ख़ैबर में ऐसी भूमि मिली है कि उससे अच्छा माल मुझे कभी नहीं मिला है। आप (सल्ल॰) उसके विषय में मुझे क्या आदेश देते हैं? आप (सल्ल॰) ने कहा, "अगर चाहो तो ऐसा करो कि अस्ल ज़मीन को वक़्फ़ कर दो और उसकी पैदावार सदक़ा क़रार दे दो।" अतः हज़रत उमर (रज़ि॰) ने उसको (उसी प्रकार वक़्फ़ करके) सदक़ा क़रार दे दिया कि अस्ल ज़मीन न तो बेची जाए न हिबा की जाए, न उसमें विरासत जारी हो। उसकी आमदनी ख़र्च हो फ़क़ीरों और निकट सम्बन्धियों पर और ग़ुलामों को आज़ाद कराने की मद में और अल्लाह की राह में और मुसाफ़िरों और मेहमानों की सेवा में—और उसका संरक्षक उसमें से नियमानुसार खाए और (अपने बाल-बच्चों को) खिलाए, बशर्ते कि वह उसके द्वारा माल इकट्ठा करने और मालदार बननेवाला न हो। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

व्याख्या : वक़्फ़ (धर्मार्थ दान) के द्वारा वक़्फ़ की हुई चीज़ सुरक्षित हो जाती है। उसे न हिबा किया जा सकता है और न उसमें विरासत क़ायम हो सकती है। उसकी आमदनी अल्लाह की राह में निश्चित मदों ही में ख़र्च होगी। वक़्फ़ का एलान या वक़्फ़ की हुई चीज़ को जिसके लिए वक़्फ़ किया गया हो उसके हवाले करने से वक़्फ़ अनिवार्य हो जाता है। अब न उसे रद्द कर सकते हैं और न उसे बेचा या हिबा किया जा सकता है।

(2) हज़रत सअद-बिन-उबादा (रज़ि॰) बयान करते हैं कि मैंने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी माँ का निधन हो गया है तो (उनके हक़ में) कौन-सा सदक़ा अधिक उत्तम होगा? आप (सल्ल॰) ने कहा, "पानी।" अतः उन्होंने एक कुआँ खुदवाया और कहा कि यह उम्मे-सअद (सअद की माँ) के लिए है। (हदीस : अबू-दाऊद, नसई)

व्याख्या : मालूम हुआ कि किसी मरनेवाले व्यक्ति को सवाब पहुँचाने के उद्देश्य से नेक काम किया जा सकता है।

क़र्ज़

(1) हज़रत इमरान-बिन-हुसैन से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "जिस किसी का किसी व्यक्ति पर कोई हक़ (क़र्ज़ आदि) हो और वह उस में समय की छूट दे (वुसूल करने में जल्दी न करे) तो उसे (दी हुई मुहलत के) प्रत्येक दिन के बदले में सदक़े का सवाब मिलेगा।"

(हदीस : मुसनद अहमद)

व्याख्या : इस हदीस में इस बात की प्रेरणा दी गई है कि ऋणी के साथ अत्यन्त सज्जनता और नरमी की नीति अपनाई जाए। यदि वह क़र्ज़दार को अधिक से अधिक मुहलत देता है ताकि क़र्ज़ चुकाने में उसे सुविधा हो तो यह भी एक नेकी है और उसकी दी हुई मुहलत का प्रत्येक दिन उसके लिए सदक़े की हैसियत रखता है।

(2) हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अम्र (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "शहीद का हर गुनाह माफ़ हो सकता है, मगर क़र्ज़ माफ़ नहीं होगा।" (हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : नबी (सल्ल॰) ने जहाँ एक ओर क़र्ज़दार व्यक्ति के साथ नरमी अपनाने की प्रेरणा दी है वहीं दूसरी ओर आप (सल्ल॰) ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि क़र्ज़दार क़र्ज़ को कोई साधारण चीज़ न समझे। उसे क़र्ज़ चुकाने की ओर से सुस्ती और लापरवाही से कदापि काम न लेना चाहिए। उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वह ऋण से जल्द से जल्द छुटकारा पा ले। वह जान ले कि क़र्ज़ के कारण वह जन्नत में प्रवेश न पा सकेगा।

(3) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) बयान करते हैं कि जब अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के सामने किसी ऐसे व्यक्ति का जनाज़ा लाया जाता जो क़र्ज़दार होता तो आप (सल्ल॰) पूछते कि, "क्या इस व्यक्ति ने अपने क़र्ज़ को चुकाने के लिए कुछ छोड़ा है?" अगर बताया जाता कि यह व्यक्ति इतना माल छोड़कर मरा है जिससे इसका क़र्ज़ चुकाया जा सकता है तो आप (सल्ल॰) उसके जनाज़े

की नमाज़ पढ़ लेते। और अगर यह न बताया जाता तो आप (सल्ल॰) मुसलमानों से कहते कि "तुम अपने साथी की नमाज़े-जनाज़ा पढ़ लो।" फिर जब अल्लाह ने आप (सल्ल॰) पर विजय के द्वार खोल दिए तो आप (सल्ल॰) भाषण के लिए खड़े हुए और कहा, "मैं ईमानवालों पर स्वयं अपनी जानों से बढ़कर हक़ रखता हूँ। अतः जो मोमिन व्यक्ति इस दशा में मरे कि उसपर क़र्ज़ हो तो उसके क़र्ज़ का चुकाना मेरे ज़िम्मे है और जो व्यक्ति माल छोड़कर मरे तो वह माल उसके वारिसों का है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

व्याख्या : इस हदीस से क़र्ज़ की अदाएगी का महत्व ज्ञात होता है।

(4) हज़रत अबुल-युस्र (रज़ि॰) बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को यह कहते हुए सुना कि "जो व्यक्ति तंगदस्त को मुहलत दे या अपना क़र्ज़ माफ़ कर दे तो अल्लाह उसे अपनी छाया में जगह प्रदान करेगा।" (हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : अर्थात् अल्लाह की रहमत उसको अपनी छाया में ले लेगी और वह हर प्रकार के ताप और कठिनाइयों की ओर से निश्चिन्त होगा।

(5) हज़रत अबू-क़तादा (रज़ि॰) बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) को यह फ़रमाते हुए सुना कि "जो व्यक्ति (अपना क़र्ज़ वुसूल करने में) तंगदस्त को मुहलत दे या अपना क़र्ज़ माफ़ कर दे तो अल्लाह उसे क़ियामत के दिन की कठिनाई से छुटकारा देगा।" (हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : क़ियामत का दिन अत्यन्त भयावह और कठिन होगा। इस दिन की कठिनाई से वही लोग सुरक्षित रह सकते हैं जो स्वयं यह पसन्द नहीं करते कि कोई कठिनाई और परेशानी में पड़े।

(6) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा, "जो व्यक्ति लोगों के माल (क़र्ज़) ले और उनको अदा करने का इरादा रखता हो तो अल्लाह उससे अदा करा देता है। और जो व्यक्ति लोगों के माल क़र्ज़ ले और उसका इरादा उनको विनष्ट करने का हो (अदा करने की नीयत न हो) तो अल्लाह उसको इस नीति के कारण विनष्ट कर देगा।" (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : नीयत अगर ठीक है तो अल्लाह क़र्ज़ चुकाने की व्यवस्था करता है और कभी-कभी इस तरह से यह व्यवस्था होती है कि व्यक्ति चकित होकर रह जाता है। लेकिन किसी ने अगर माल क़र्ज़ के रूप में ले तो लिया, लेकिन नीयत उसकी ख़राब हो गई, वह उसे लौटाने का इरादा नहीं रखता तो वह यह न समझे कि वह बहुत चतुर है। वह अपने आपको बहुत बड़े घाटे में डाल रहा है। वह तो वक़्त पर काम आनेवाले अर्थात् क़र्ज़ देनेवाले को केवल धन की क्षति पहुँचाएगा लेकिन अपनी इस नीति से वह स्वयं को जो हानि पहुँचाएगा, आर्थिक क्षति उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है।

(7) हज़रत अबू-मूसा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा, "बड़े गुनाहों के बाद, जिनसे अल्लाह ने रोका है, अल्लाह की दृष्टि में गुनाह जिसके साथ बन्दा उससे मिले यह है कि कोई व्यक्ति इस हाल में मरे कि उसपर क़र्ज़ हो और उसने अपने पीछे इतना माल न छोड़ा हो कि उसका क़र्ज़ चुकाया जा सके।" (हदीस : मुसनद अहमद, अबू-दाऊद)

व्याख्या : अर्थात् उन बड़े गुनाहों के बाद जिनसे मुसलमानों को बचना चाहिए और जिनसे बचे रहने की अल्लाह ने ताकीद की है, यह बहुत बड़ा गुनाह है कि कोई क़र्ज़ का बोझ लिए हुए दुनिया से विदा हो।

(8) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "मालदार का टाल-मटोल करना ज़ुल्म है।" (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : जिस किसी के ज़िम्मे क़र्ज़ है और वह किसी तंगी में भी नहीं है जो क़र्ज़ उसे चुकाना है उसे वह चुका सकता है तो फिर उसे न चुकाना और उसमें विलम्ब और टाल-मटोल से काम लेना स्पष्टतः ज़ुल्म और अत्याचार है।

(9) हज़रत आइशा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) नमाज़ में दुआ माँगते तो कहते, "ऐ अल्लाह, मैं गुनाह और क़र्ज़ से तेरी पनाह माँगता हूँ।" (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : मालूम हुआ कि जब क़र्ज़ और गुनाह से बचने के लिए अल्लाह का रसूल, अल्लाह से प्रार्थनाएँ करता है तो हमारे लिए भी इससे असावधान

रहने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। हमें भी गुनाह और क़र्ज़ की मुसीबत से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए।

(10) हज़रत जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह (रज़ि॰) कहते हैं कि नबी (सल्ल॰) के ज़िम्मे मेरा क़र्ज़ था तो आप (सल्ल॰) ने मुझे वह क़र्ज़ चुकाया तो मुझे कुछ अधिक दिया।" (हदीस : अबू-दाऊद)

व्याख्या : नबी (सल्ल॰) ने कहा है, "लोगों में सबसे अच्छा व्यक्ति वह है जो क़र्ज़ के चुकाने में सबसे अच्छा हो," (हदीस : मुस्लिम) उल्लेखों में कई घटनाएँ ऐसी मिलती हैं कि नबी (सल्ल॰) ने क़र्ज़ के अदा करने में बेहतर ढंग अपनाया और इसी का आदेश आपने दूसरों को भी दिया। उदाहरणार्थ आप (सल्ल॰) ने पायजामा ख़रीदा तो जिस व्यक्ति से आपने पायजामा ख़रीदा था उसको तय किए हुए मूल्य से अधिक दिया। इससे मालूम होता है कि जो व्यक्ति किसी का क़र्ज़ आदि चुकाए और अपनी ओर से कुछ अधिक ही दे दे तो यह वैध है, यह ब्याज नहीं है। बशर्ते कि यह अधिक देना शर्त के अन्तर्गत न हो।

(11) हज़रत बरा-बिन-आज़िब (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "क़र्ज़दार अपने क़र्ज़ के कारण बन्दी होगा। अतः वह क़ियामत के दिन अपनी तनहाई की शिकायत अपने रब से करेगा।"

(हदीस : शरहुस्सुन्नह)

व्याख्या : क़र्ज़दार होने के कारण उसे तनहाई की मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तनहाई की क़ैद में होनेवाली परेशानी और बेचैनी की शिकायत वह क़ियामत के दिन अल्लाह से करेगा, लेकिन जब तक क़र्ज़ के चुकाने की कोई सूरत पैदा न होगी उसे इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिल सकेगा। एक दूसरी रिवायत में हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा, "मोमिन की आत्मा अपने क़र्ज़ के कारण लटकी रहती है (अधर में पड़ी रहती है) जब तक कि उसका क़र्ज़ चुका न दिया जाए।"

(हदीस : शाफ़िई, अहमद, तिरमिज़ी, इब्ने-माजा)

अमानत

(1) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा, "जिसने तुम्हें अमीन बनाया उसकी अमानत अदा करो और जो कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात करे तुम उसके साथ विश्वासघात न करो।"

(हदीस : तिरमिज़ी, अबू-दाऊद, दारमी)

व्याख्या : अर्थात् जिसने तुमपर भरोसा और विश्वास किया है, तुम उसके विश्वास को ठेस न पहुँचाओ। अगर उसने तुम्हारे पास सुरक्षा के उद्देश्य से कोई चीज़ या रुपये आदि रखे हैं तो तुम उसके माँगने पर तुरन्त उसे लौटा दो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया हो तो तुम प्रतिशोध और बदले की भावना से भी उसके साथ विश्वासघात न करो।

प्रतिबन्ध लगाना

(1) हज़रत अनस-बिन-मालिक (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि एक व्यक्ति अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के ज़माने में क्रय-विक्रय किया करता था। उसकी बुद्धि में विकार था तो उसके सम्बन्धी नबी (सल्ल॰) की सेवा में उपस्थित हुए और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! उस व्यक्ति पर प्रतिबन्ध लगा दीजिए क्योंकि वह सौदा करता है जबकि उसकी बुद्धि में विकार है। नबी (सल्ल॰) ने उसे बुलाया और क्रय-विक्रय करने से उसको रोक दिया। उसने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल, मुझसे सब्र न होगा कि मैं क्रय-विक्रय छोड़ दूँ। इसपर नबी (सल्ल॰) ने कहा, "यदि क्रय-विक्रय को छोड़ नहीं सकता तो मामला करते समय यह कहा करो—इस मामले में विक्रय है और धोखा नहीं है।"

(हदीस : तिरमिज़ी, अबू-दाऊद, नसई)

व्याख्या : किसी व्यक्ति को अल्पावस्था या पागलपन या बुद्धिहीनता या ग़रीबी के कारण माल के लेन-देन से रोका जा सकता है। क़ुरआन में है : "और अपने माल जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए क़ायम रहने का साधन बनाया है, बुद्धिहीनों को न दो, हाँ उन्हें उसमें से खिलाते और पहनाते रहो।"

(क़ुरआन, 4:5)

तावान (जुर्माना)

(1) अब्दुल्लाह-बिन-सफ़वान के घराने के कुछ लोगों से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "ऐ सफ़वान! क्या तुम्हारे पास कुछ हथियार होंगे?" पूछा : उधार चाहते हैं या अधिग्रहीत रूप में? आप (सल्ल॰) ने कहा, "अधिग्रहीत रूप में नहीं, बल्कि उधार चाहिए।" सफ़वान ने तीस से चालीस तक ज़िरहें (कवच) आपको दीं। अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने हुनैन का युद्ध किया। फिर जब शत्रु परास्त हुए तो सफ़वान की ज़िरहें इकट्ठा की गईं। उनमें से कुछ ज़िरहें खो चुकी थीं। नबी (सल्ल॰) ने कहा, "ऐ सफ़वान! हमसे तुम्हारी कुछ ज़िरहें खो गई हैं। कहो तो उसका तावान तुम्हें दे दें?" उन्होंने कहा कि नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे दिल में वह बात अब नहीं है जो उस दिन (अर्थात् पहले) थी। (हदीस : अबू-दाऊद)

व्याख्या : अर्थात् अब मैं मुसलमान हो गया हूँ, पहली जैसी हालत अब नहीं है। मैं आपसे तावान नहीं लूँगा। इससे मालूम हुआ कि जिस किसी का नुक़सान हुआ हो वह चाहे तो तावान माफ़ कर सकता है।

विरासत का क़ानून

किसी मुसलमान की मृत्यु के बाद उसका छोड़ा हुआ धन या सम्पत्ति उसके वारिसों में वितरित हो जाएगी। इस्लाम में इस सिलसिले के आदेश स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। 'फ़राइज़' मीरास के उन भागों को कहते हैं जो क़ुरआन या हदीस में वारिसों के लिए निर्धारित किए गए हैं। किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसके तरके (छोड़ी हुई सम्पत्ति) को हक़दारों की ओर स्थानान्तरित करने को विरासत कहते हैं। इसका विवरण क़ुरआन और हदीस में मौजूद है। महत्वपूर्ण हदीसें यहाँ लिखी जा रही हैं—

विरासत

(1) हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "मीरास के हिस्से (जो क़ुरआन में निर्धारित किए गए हैं) हिस्सेदारों को दो फिर जो कुछ बचे वह निकटतम पुरुष के लिए है (अर्थात्

जो मृतक का सबसे निकटतम सम्बन्धी हो उसका हक़ है)।"

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

व्याख्या : मतलब यह है कि मृतक की छोड़ी हुई सम्पत्ति में से सबसे पहले उन लोगों को दिया जाएगा जिनके हिस्से क़ुरआन ने निर्धारित कर दिए हैं, उन्हें देने के बाद जो कुछ बचेगा वह मृतक के सबसे निकट के रिश्तेदार को दिया जाएगा। क़रीब के सम्बन्धी की मौजूदगी में दूर का रिश्तेदार मृतक की छोड़ी हुई सम्पत्ति का वारिस न होगा।

(2) हज़रत अली (रज़ि॰) ने (एक दिन) लोगों से कहा कि तुम इस आयत को पढ़ते हो—"मिम् बादि वसीयतिन् तूसूना बिहा औदैन" अर्थात् उसके बाद कि जो वसीयत वे कर जाएँ वह पूरी कर दी जाए या जो क़र्ज़ हो वह चुका दिया जाए, जबकि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने वसीयत पूरी करने से पहले क़र्ज़ चुकाने का आदेश दिया है। और यह भी कहा है कि "हक़ीक़ी भाई वारिस होते हैं, सौतेले भाई नहीं। और यह कि आदमी अपने हक़ीक़ी भाई का वारिस होता है, सौतेले भाई का नहीं।" (हदीस : तिरमिज़ी, इब्ने-माजा)

व्याख्या : इस हदीस में जो आयत उद्धृत की गई है उसका मतलब यह है कि मीरास के बँटवारे से पहले मैयत की अगर कोई वसीयत है तो उसे पूरी करें और अगर उसके ज़िम्मे कुछ क़र्ज़ हो तो उसको चुका दें। इसके बाद वारिसों में मीरास बाँटी जाए।

(3) हज़रत बुरैदा (रज़ि॰) कहते हैं कि नबी (सल्ल॰) ने दादी और नानी का छठा हिस्सा निर्धारित किया है जबकि माँ उसे महजूब न कर दे।

(हदीस : अबू-दाऊद)

व्याख्या : मृतक की माँ अगर जीवित नहीं है तो दादी और नानी को तरके से छठा हिस्सा मिलेगा। माँ की मौजूदगी में उनका मैयत के तरके में कोई हिस्सा न होगा।

(4) हज़रत जाबिर (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "अगर बच्चे ने कोई आवाज़ निकाली हो (और फिर मर जाए) तो उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ी जाए और उसे वारिस क़रार दिया जाए।"

(हदीस : इब्ने-माजा, दारमी)

व्याख्या : आवाज़ निकालना क्योंकि जीवन का लक्षण है, इसलिए उसका ज़िक्र किया गया। बच्चा पैदा होते समय माँ के पेट से अगर आधे से अधिक निकला और उसमें जीवन के लक्षण पाए गए, उदाहरणार्थ साँस, छींक, आवाज़ और हरकत, और फिर वह मर गया तो उसके जनाज़े की नमाज़ भी पढ़ेंगे और उसे वारिस बनाकर उसकी मीरास का बँटवारा होगा।

यहाँ यह धर्मादेश भी जान लेना चाहिए कि एक व्यक्ति मर जाता है और उसका वारिस अभी गर्भ में है तो उसकी प्रतीक्षा करेंगे। उसकी मीरास रोक रखी जाएगी। यदि वह जीवित पैदा हुआ तो वारिस ठहरेगा और इसके बाद इसकी मीरास उसके वारिसों की ओर स्थानान्तरित होगी और यदि जीवित पैदा नहीं होता तो वह वारिस नहीं होगा। मीरास दूसरे वारिसों में बाँटी जाएगी।

(6) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "क़ातिल (मक़तूल के माल का) वारिस नहीं होता।"

(हदीस : तिरमिज़ी, इब्ने-माज़ा)

व्याख्या : अपने मूरिस (जिसकी सम्पत्ति में विरासत का हक़ है) की अगर किसी ने आकारण हत्या कर दी तो यह हत्या केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं है बल्कि हत्यारे ने उस रिश्ते की प्रतिष्ठा को ध्यान में नहीं रखा जो उन दोनों के बीच पाई जाती थी। इस स्थिति में उसके अपने निहत मूरिस का वारिस होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

वसीयत

(1) हज़रत इब्ने-उमर (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "किसी मुसलमान के पास कोई चीज़ हो जिसके विषय में वह वसीयत करनी चाहता है तो दो रातें भी न व्यतीत होने पाएँ कि लिखित वसीयत उसके पास मौजूद हो।" (हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : वसीयत का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति अपने जीवनकाल में अपने वारिसों से कह जाए कि मेरे बाद तुम्हें यह काम करना है, उदाहरणार्थ इतना धन सदक़ा करना है या मेरे ज़िम्मे कुछ ज़रूरी या अनिवार्य चीज़ें अदा करनी रह गई हैं उनका कफ़्फ़ारा अदा करना है। ऐसे अवसर पर अगर वह

कुछ नसीहतें करता है तो उनको भी वसीयत के अर्थ में लिया जाएगा।

(2) हज़रत सअद (रज़ि॰) बयान करते हैं कि नबी (सल्ल॰) ने मेरी बीमारपुर्सी की। इस अवसर पर मैंने कहा कि मैं अपने सारे माल के लिए वसीयत कर जाऊँ? आप (सल्ल॰) ने कहा, "नहीं।" मैंने कहा : तो फिर तिहाई के लिए? आप (सल्ल॰) ने कहा, "हाँ, और तिहाई भी बहुत है।"

(हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : एक रिवायत के शब्द ये हैं : "जो मुसलमान वसीयत करनी चाहता है, वह दो रातें भी न गुज़ारे सिवाय यह कि उसके पास वसीयत लिखी हुई हो।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)। मालूम हुआ कि जिसके ज़िम्मे वसीयत के योग्य हक़ और माल हैं उसके लिए आवश्यक है कि उन हक़ों और मालों के सम्बन्ध में लिखित वसीयत उसके पास मौजूद रहे। ऐसा न हो कि मौत अचानक आ जाए और वह वसीयत न लिख सके।

(3) हज़रत अबू-हुरैरा (रज़ि॰) से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा, "कोई पुरुष और स्त्री साठ साल अल्लाह के आज्ञापालन में व्यतीत कर देते हैं, फिर उनके मरने का वक़्त आता है, और वे वसीयत के द्वारा वारिसों को नुक़सान पहुँचा जाते हैं तो उन दोनों के लिए नरक अनिवार्य हो जाता है।" (हदीस : तिरमिज़ी, अबू-दाऊद, इब्ने-माजा)

व्याख्या : नबी (सल्ल॰) एक पुरुष और स्त्री का उदाहरण देते हैं कि वे दोनों लम्बी अवधि तक ख़ुदा के आज्ञापालन और बन्दगी में लगे रहते हैं, लेकिन दुनिया से जाते-जाते अपनी वसीयतों में अन्याय से काम लेकर अपने वारिसों को हानि पहुँचा देते हैं। उनकी यह लम्बी अवधि तक अल्लाह की इबादत व आज्ञापालन उनके कुछ काम नहीं आने का, वे जहन्नम (नरक) के पात्र हो जाते हैं।

☆☆☆